

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023—माघ 21, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्र. ई-1-183-2022-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-30-2022-AIS-I, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 द्वारा सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे (2020) की सेवाएं AGMUT संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं।

2. सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे (2020) को अस्थयी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. ई-1-248-2022-5-एक.—श्री रत्नाकर झा, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पति प्रबंधन कंपनी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

2. उपरोक्तानुसार श्री रत्नाकर झा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भास्कर लक्ष्मकार, भाप्रसे (2010), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी

एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के बल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2023

क्र. ई-1-10-2023-5-एक.—श्री तरुण भट्टानगर, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-11-2023-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2023

क्र. एफ 1(ए)76-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (चयन/भर्ती), पु. मु., भोपाल द्वारा निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. दिनांक 28 नवम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश।
2. दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश।
3. दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश।
4. दिनांक 23 दिसम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक, (चयन/भर्ती), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. एफ 1(ए)13-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री विवेक शर्मा, भापुसे, तत्का. पुमनि. प्रशासन, पु. मु. भोपाल वर्तमान में अति. पुलिस

महानिदेश, (प्रशासन-2), पु. मु., भोपाल का स्वास्थ्य खारब होने से दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जनवरी 2023 द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेश, जबलपुर जोन, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था। चूंकि श्री जोगा, भापुसे, अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए) 37-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री विकास पाठक, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 27 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 मार्च व 07-09 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत कटिहार (बिहार) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री विकास पाठक | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती नवनीता पाठक | — | पत्नि |
| 3. श्री अक्षय पाठक | — | पुत्र |
| 4. श्री कमलनयन पाठक | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास पाठक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विकास पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2023

फा. क्र. 398-2023-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1) (बी) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :—

1. श्री राकेश कुमार पाटीदार

2. श्री दिनेश कुमार प्रजापति

पंजी. क्र. 453-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री किशोर कुमार मिश्रा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हट्टा, जिला दमोह की सेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ रीवा में न्यायिक सदस्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

पंजी. क्र. 406-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री तनवीर अहमद खॉन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम के अंतर्गत, विशेष न्यायालय क्रमांक-10, सागर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023

फा. क्र. 489-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (क्रमांक 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती राखी सिंह, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, गवालियर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 489-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (क्रमांक 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2023

पंजी क्र. 488-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-केसली, जिला सागर में विभागीय आदेश दिनांक 13 जुलाई 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री गिरीश स्वामी एवं जिला मुख्यालय, सागर में विभागीय आदेश दिनांक 23 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री हरिकृष्ण कौशकिया का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

सूचना

क्रमांक—यूडोएच—३/०१२९/२०२२/१८—५— मध्यप्रदेश नगर तथा 'ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) १९७३ (क्रमांक—१ सन् २०१२), की धारा २३—''क'' की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा विकास योजना सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक—४०५०/टी सी/१३३/सागर/उपां/नगरानि/२०२२ भोपाल दिनांक ०४/१०/२०२२ द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना २०३१ में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं—

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	तिली माफी (वार्ड क्रमांक ०५)	147/१/१/१/२	०.३११५ हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, ३० मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं ३० मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
2		147/१/१/१/१	०.३००० हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं ३० मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं ३० मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
	योग :-		कुल रकवा ०.६११५ हेक्टेयर		

नोट:-

- प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सम्मुख तिली माफी तिगड़ा से डी आई जी बंगला मार्ग की चौड़ाई ३०.०० मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

शर्ते

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।
- उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, २०१२ एवं सागर विकास योजना, २०३१ के प्रावधानुसार लागू होंगे।
- उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना २०३१ का एकीकृत भाग होगा।

क्रमांक—यूडीएच—3/0130/2022/18-5:— मध्यप्रदेश नगर तथा 'ग्राम' निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक—1 सन् 2012), की धारा 23—'क' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा विंको०३० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक—4054/टी सी/123/सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 04/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	तिली माफी (वार्ड क्रमांक 47) तहसील सागर नगर जिला सागर	184/1	0.6119 हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
2		184/2/1	1.0481 हेक्टेयर	प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
	योग :—		कुल रक्षा 1.660 हेक्टेयर		

नोट:—

- प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में स्थित तिल्ली-तिगड़ा से धर्मश्री चौराहा मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

शर्ते

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी।
- उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
- उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2023

फा. क्रमांक 403 /21-ब(एक)/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 87, 88, 89, 90 तथा 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"87	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर	सिविल जिला सागर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 87,88,89,90,और 91-क में दिए गए को छोड़कर)
88	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बण्डा	बण्डा का विद्युत क्षेत्र
89	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	खुरई का विद्युत क्षेत्र
90	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बीना	बीना का विद्युत क्षेत्र
91	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	रेहली का विद्युत क्षेत्र"

(2) इस प्रकार यथा स्थापित अनुक्रमांक 91 के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

91-क	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवरी	देवरी का विद्युत क्षेत्र ।"
------	------	--------------------------------	-----------------------------

F. No. 403/21-B(One) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/XXI-B(1)/5846/2018 dated 7th December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 21st December, 2018, namely :-

Amendment

In the said Notification, in the table,-

(1) for serial number 87, 88, 89, 89, 90 and 91 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

In the said Notification, in the table, for serial numbers 87, 88, 89, 90 & 91 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"87	Sagar	Additional Sessions Judge, Sagar	All Electricity Area of Civil District Sagar (excluding the territorial jurisdiction given at serial no. 88, 89, 90, 91 and 91-A)
88	Sagar	Additional Sessions Judge, Banda	Electricity Area of Banda
89	Sagar	Additional Sessions Judge, Khurai	Electricity Area of Khurai
90	Sagar	Additional Sessions Judge, Bina	Electricity Area of Bina
91	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli	Electricity Area of Rehli."

(2) after serial number 91 as so substituted, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

"91-A	Sagar	Additional Sessions Judge, Deori	Electricity Area of Deori."
-------	-------	----------------------------------	-----------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2023

कमांक : एफ-13-39/2011/तेरह, यतः, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-55/2021/ए-ग्यारह दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित स्पिनिंग यूनिट को विभिन्न विशेष सुविधाएं जिसमें विद्युत शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

और यतः एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22.04.2022 एवं 17.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने दिनांक 31.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त आदेश दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट (यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187) को प्रदान की गई विशेष सुविधाओं की पात्रता निर्धारित की है ;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (कमांक 17 सन, 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट (यूनिट कमांक 6, सी.आई.ई. 14187) के विद्यमान संयोजन के अतिरिक्त भार पर 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित करती है :

परन्तु विद्युत शुल्क की ऐसी दर केवल विद्यमान संयोजन पर अतिरिक्त भार की सीमा तक एवं दिनांक 27.07.2021 से दिनांक 26.07.2031 तक की अवधि हेतु ही लागू होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप से, विद्यमान संयोजन से अपनी नवीन स्पिनिंग यूनिट (यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187) को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब-मीटर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 26.07.2031 तक प्रवृत्त रहेगी ।

No. F-13/39/2011/13: Whereas, Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F-16-55/2021/A-XI dated 28.07.2021 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty to the proposed spinning unit by M/s Trident Group in Budhni District Sehore with the condition that the project shall start its commercial production along with committed investment within three years from the date of issue of order;

And whereas, M.P. Industrial Development Corporation Limited vide its letters dated 22.04.2022 and 17.11.2022 has intimated that the State Level Empowered Committee in its meeting held on 31.01.2022 has determined eligibility of special facilities granted to new Spinning Unit (Unit No.6 and CIE 14187) of M/s Trident Group vide above order dated 28.07.2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, impose Electricity Duty at the rate of 0.25% on the additional load of the existing connection of new Spinning Unit (Unit 6, CIE 14187) of M/s Trident Group:

Provided that such rate of Electricity Duty shall be applicable only to the extent of additional load, on the existing connection and for the period from 27.07.2021 to 26.07.2031:

Provided further that M/s Trident Group shall be required to install a separate sub-meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new-spinning unit (Unit No. 6 and CIE 14187) from existing connection in view of provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949.

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 27.07.2021 and shall remain in force till 26.07.2031.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलोकटर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. 30-एसडब्ल्यू-एफ-72-2023

पुलिस अधीक्षक; देवास का पत्र क्रमांक-पुअ / देवास / एसी / 52 / 2022 देवास, दिनांक 9 जनवरी 2023
 क्रमांक-पुअ / देवास / एसी / बी-4449-ए / 2022 देवास, दिनांक 10.10.2022 के अनुसार कमलापुर पुलिस चौकी को थाने में
 उन्नयन कर नवीन थाना बनाया जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति हारा आगा कमलापुर का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
 एवं गठित समिति हारा पुलिस चौकी कमलापुर के 54 ग्रामों को थाना कमलापुर में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
 म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क) / 9 / 08 / बी-3 / दो भोपाल, दिनांक 30.07.2010 के प्रावधान
 अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमा का अधिकार / परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।
 अतः मैं ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स-2 की धारा
 2 के खण्ड एस. हारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग थागली
 के पुलिस चौकी क्षेत्र कमलापुर के 54 ग्रामों को जन सुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना कमलापुर हेतु
 परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:-

क्र.	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना / पुलिस चौकी का नाम	वर्तमान थाने से दूरी	प्रस्तावित थाने का नाम	प्रस्तावित थाने से गांव की दूरी
01	चापडा	बागली 1155	उत्तर 08 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि.मी.
02	गुराडियाकला	बागली 982.12	पश्चिम उत्तर 10 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 14 कि.मी.
03	गुन्नरा	बागली 238.68	उत्तर 06 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि.मी.
04	गुन्नरी	बागली 197.08	उत्तर 06 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 11 कि.मी.
05	लखेयाडा	बागली 405.172	उत्तर 07 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 13 कि.मी.
06	मुकुन्दगढ़	बागली 1789.28	पश्चिम उत्तर 12 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 25 कि.मी.
07	अचाइर	बागली 334.53	पश्चिम उत्तर 13 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 26 कि.मी.
08	भमोरी	बागली 925.819	पश्चिम उत्तर 15 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 25 कि.मी.
09	अमरपुरा	बागली 511.90	उत्तर 10 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि.मी.
10	अचलदा	बागली 401.04	उत्तरपूर्व 10 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 15 कि.मी.
11	अचलदी	बागली 273.16	उत्तरपूर्व 11 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 16 कि.मी.
12	गोपालपुरा (टिमरानिया)	बागली 306.74	पश्चिम उत्तर 16 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 27 कि.मी.
13	मोरखालिपल्ला	बागली 464.86	उत्तरपूर्व 12 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 10 कि.मी.

14	माकडिया	बागली 206.23	उत्तरपूर्व 12 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि.मी.
15	कमलापुर	बागली 2987.39	पूर्व उत्तर 25 कि.मी.	कमलापुर	0 कि.मी.
16	आगली	बागली 936.78	पूर्व 19 कि.मी.	कमलापुर	दक्षिण 06 कि.मी.
17	बड़ी	बागली 164.36	पूर्व उत्तर 23 कि.मी.	कमलापुर	दक्षिण 02 कि.मी.
18	शिवपुरी	बागली 384.44	पूर्व उत्तर 19 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 06 कि.मी.
19	मातमोर	बागली 486.17	पूर्व उत्तर 17 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि.मी.
20	खेडपिपल्या साहब	बागली 265.61	पूर्व उत्तर 14 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 12 कि.मी.
21	बेडामउ	बागली 241.60	पूर्व 15 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि.मी.
22	बामनखेड़ी	बागली 422.84	उत्तर पूर्व 12 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 08 कि.मी.
23	कर्सोंदिया	बागली 606.34	पूर्व 29 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 06 कि.मी.
24	देवारस्या	बागली 1848.63	पूर्व 29 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 06 कि.मी.
25	बोरान्या	बागली 1556.73	पूर्व 30 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व दक्षिण 07 कि.मी.
26	छायन	बागली 153.04	पूर्व 28 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 05 कि.मी.
27	धनतलाब	बागली 2376.24	पूर्व 37 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 12 कि.मी.
28	खेडाख्याल	बागली 547.083	पूर्व 29 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 08 कि.मी.
29	चन्द्रकेशर	बागली 371.29	पूर्व 32 कि.मी.	कमलापुर	दक्षिण पूर्व 10 कि.मी.
30	सामरी	बागली 477.12	उत्तर पूर्व 25 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 07 कि.मी.
31	डिंगोद	बागली 227.30	उत्तर पूर्व 32 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 08 कि.मी.
32	हमीरखेड़ी	बागली 176.47	उत्तर पूर्व 27 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 13 कि.मी.
33	थलधेवरिया	बागली 178.61	पूर्व 30 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 05 कि.मी.
34	ईसाइलखेड़ी	बागली 621.70	उत्तर पूर्व 38 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 08 कि.मी.
35	महुडिया	बागली 605.26	उत्तर पूर्व 34 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि.मी.
36	कवडिया	बागली 605.26	उत्तर पूर्व 37 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 12 कि.मी.
37	धीगरखेड़ा	बागली 224.11	पूर्व 30 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि.मी.
38	अवराजसाहनी	बागली 629.27	उत्तर पूर्व 31 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 07 कि.मी.
39	गोपीपुर	बागली 186.89	पूर्व 28 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 06 कि.मी.
40	कैलोद	बागली 300.65	उत्तर पूर्व 23 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 06 कि.मी.
41	डेरियआभा	बागली 286.63	उत्तर पूर्व 35 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 12 कि.मी.
42	पोलाय	बागली 555.319	पूर्व 15 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 07 कि.मी.
43	कङ्काल	बागली 721.44	उत्तर पूर्व 30 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 10 कि.मी.

44	पालखा	बागली 291.22	उत्तर पूर्व 28 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 03 कि.मी.
45	रत्नायस्थडी	बागली 372.14	उत्तर पूर्व 35 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 12 कि.मी.
46	भीलआमला	बागली 1584.26	उत्तर पूर्व 28 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पूर्व 07 कि.मी.
47	जामनाड़ी	बागली 5865.23	पूर्व 25 कि.मी.	कमलापुर	पूर्व 07 कि.मी.
48	ओदलाइसी	बागली 996.62	उत्तर पूर्व 32 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 11 कि.मी.
49	ग्यारसपुरा	बागली 165.32	उत्तर पूर्व 35 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर 15 कि.मी.
50	तिसरी	हाटपिपल्या 179.67	पश्चिम उत्तर 15 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 32 कि.मी.
51	इकलेठा	हाटपिपल्या 491.23	पश्चिम उत्तर 14 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 31 कि.मी.
52	चोरपिपल्या	हाटपिपल्या 197.10	उत्तर 13 कि.मी.	कमलापुर	पश्चिम 23 कि.मी.
53	विलावली	हाटपिपल्या 801.08	उत्तर 25 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 15 कि.मी.
54	पितावली	हाटपिपल्या 199.50	उत्तर 27 कि.मी.	कमलापुर	उत्तर पश्चिम 14 कि.मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषब गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 17 जनवरी 2023

पत्र क्र. 01-भू-अर्जन-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1) दमोह	(2) बटियागढ़	(3) बरखेरा नाहर/ सुम्मेर	(4) 6.867	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	(6) सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2023

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष-2022-23.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार

को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—पन्ना
 - (ख) तहसील—गुनौर
 - (ग) ग्राम—नचनौरा
 - (घ) क्षेत्रफल—0.211 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर में) (2)				
456	0.061	निजी भूमि	92/4	0.061				
457	0.030	निजी भूमि	96/3	0.033				
856	0.080	निजी भूमि	96/2	0.107				
1864/480	0.040	निजी भूमि	93 94 95/1-2	0.010 0.140 0.260				
योग . .		0.211	76 51 53/1-2, 75/1-2 33/2 33/3 33/1 34/2 35/2	0.043 0.043 0.280 0.042 0.023 0.042 0.081 <hr/> 0.010				
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः—नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु छूट हुए रकबे की भूमि का अर्जन हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम नचनौरा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.							
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है।							
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.								
<hr/> कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जनवरी/फरवरी 2023								
<hr/> क्र. 850-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—								
अनुसूची								
(1) भूमि का वर्णन—								
(क) जिला—छिन्दवाड़ा								
(ख) तहसील—चौरई								
(ग) नगर/ग्राम—खमरियाखुर्द, प.ह.नं.-27, ब. नं.-43, रा. नि. मं.-कपुदा.								
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—								
		कुल रकबा-01.175 हैक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.						

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर एवं उसकी वितरक नहर उपवितरक तथा माईनर सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण कार्यालयन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)
(क्र.-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत,)

क्र.-150—भू—अर्जन—22

खरगोन, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

चूंकि, राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के घौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्यारा अनुसूची(1) के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबूध में उक्त धारा-12 घौरा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	गोगांवा	मोहम्मेदपुर	0.440	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग खरगोन	" बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस-01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु " ग्राम-मोहम्मेदपुर की प्रभावित निजी भूमि का विवरण ।

-: अनुसूची (2) :-

" बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस-01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु " ग्राम-मोहम्मेदपुर की प्रभावित निजी भूमि का विवरण ।

सर्व नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)
309 / 456 / 3	0.440

नोट:-भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-18 खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पूरुषोत्तम, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-55-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-10667

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत ग्रामीण अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समावित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	मालथौन
3. ग्राम	:	पहरगुवां
4. पट.ह.नं.-	:	60
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	704.25 वर्गमीटर

॥ अनुसूची - 01 ॥

॥ भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ॥

संक्र.	अभिलेखा नुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर ¹ निमित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 32 के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
				ज्ञोपड़ी/कच्चा कबेल/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे.)		
1	शासकीय (चारागाह)	146	हरनाम पिता परपोतम अहिरवाई (पलि कमला)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	38.64		स्थाई निवास
				टपरा लकड़ी का छत बरसाती	13.86		
				कुलयोग:-	52.50		
2	शासकीय (चारागाह)	146	रवि पिता परपोतम अहिरवाई (पलि इन्द्रकुमारी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	21.50		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल	11.00		
				टपरा लकड़ी का छत बरसाती	13.50		
				कुलयोग:-	46.00		

3	शासकीय (चारागाह)	146	सरस्वती वेदा परबोतम अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	22.79	मिहीलाल पिता परसोतम (अविवाहित)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	11.66		
				दीवार लकड़ी की छत बरसाती	17.28		
				शोचालय प्रकका सीमेण्ट सीट	1.32		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	17.25		
				कुलयोग :-	70.30		
4	शासकीय (चारागाह)	146	रामेश्वर पिता परबोतम अहिरवार (पति पार्वती)	टपरा लकड़ी का छत बरसाती	12.40		अस्थाई निवास
				कुलयोग :-	12.40		
5	शासकीय (चारागाह)	146	रामदास पिता परबोतम अहिरवार (पति सोना)	दीवार इंट की छत नहीं अर्धनिर्मित	19.60	स्थाई निवास	
				स्लॉथ मात्र आर.सी.सी.	14.80		
				कुलयोग :-	34.40		
6	शासकीय रास्ता	221	शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र पहरगुवा	भवन पक्का दीवार इंट की छत आर.सी.सी. कंकरीट	25.90	निवास हेतु उपयोग नहीं	
				भवन पक्का दीवार इंट की छत आर.सी.सी. कंकरीट	27.30		
				भवन पक्का दीवार इंट की छत आर.सी.सी. कंकरीट	38.18		
				कुलयोग :-	91.38		
7	शासकीय (आबादी गॉवठान)	453	मंदिर श्री देव हनुमानजी	पक्का आर.सी.सी. मय गुम्बद	85.54	निवास हेतु उपयोग नहीं	
				चबूतरा पक्का	80.08		
				कुलयोग :-	165.62		
8	शासकीय (आबादी गॉवठान)	453	प्रेमनारायण पिता दशरथ प्रसाद तिवारी	टपरा दीवार पत्थर उपर बरसाती	15.20	निवास हेतु उपयोग नहीं	
				शोचालय छत फर्शी	1.10		
				कुलयोग :-	16.30		
9	शासकीय (आबादी गॉवठान)	710	भगवानसींग पिता खुमानसींग (पति मीराबाई)	दीवार पत्थर की छत बरसाती	18.80	स्थाई निवास	
				गौशाला दीवार पत्थर एवं इंट की छत खपरेल	27.20		
				लकड़ी के उपर टीन सेट निवास	43.99		
				कुलयोग :-	89.99		
10	शासकीय (आबादी गॉवठान)	710	मकुन्द पिता खुमान सींग लाधी (पति इमरती बाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	47.90		स्थाई निवास
				कुलयोग :-	47.90		

11	शासकीय (आवादी गॉवडान)	710	शिवराजसींग पिता लटकन सींग लोधी (पलि मुलाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	20.77	शेरसिंह पिता शिवराज सींग (अविवाहित)	स्थाई निवास			
				मकान दीवार इंट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	22.08					
				दहलान दीवार पत्थर छत खपरेल	9.28					
				मकान दीवार इंट की छत सीमेट सीट फर्श पक्का	21.74					
				नहानी दीवार इंट की छत लकड़ी बरसाती	3.60					
कुलयोग :-					77.46					
कुलयोग :-					704.25					

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सूचित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निवाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसरंचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 है. में से 120.00 है. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकवा 12.37 हेक्ट. में से रकवा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १२/१/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-66-अ-82-21-22-भू-अर्जन-870

सागर, दिनांक 30 जनवरी 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013^o की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन किया जाना भी समावित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थाई परिस्थितियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	सलैया खुर्द
4. पट.ह.न.-	:	08
5. अर्जित मकानों का क्षेत्रफल	:	8125.04 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

:: अनुसूची - 01 ::

सं. क्र.	वर्तमान अभिलेखा नुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डि के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
				ज्ञोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे.)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	शासकीय (चारागाह)	3/1	शुभम पिता अमरसिंह यादव (पति अनामिका)	मकान पक्का दीवार ईंट की छत टीनसेट फर्श पक्का	43.56		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	134.55		
				दहलान दीवार पत्थर उपर सीमेंट सीट	27.52		
				दहलान दीवार पत्थर उपर लकड़ी बरसाती	36.30		
				दहलान दीवार पत्थर उपर टीनशेड	21.36		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती	64.35		
				कुल योग	327.64		

2	शासकीय (चारागाह)	3/1	1 ब्रजेश पिता रूपनारायण (पति विमलेश) 2 रामसहाय पिता रूपनारायण 1/2 हिस्सा (पति चन्द्रबाई)	मकान पक्का दीवार ईट छत आर.सी.सी फर्श पक्का किचन दीवार लकड़ी छत बरसाती	92.25 30.00		स्थाई निवास
				कुल योग	122.25		स्थाई निवास
3	शासकीय (चारागाह)	3/1	रूपनारायण पिता रामदरण यादव	दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती की गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती की गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	23.00 30.30 26.00 40.00		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	119.30		
4	शासकीय (चारागाह)	3/1	पंच पिता गंदू पटेल	मकान दीवार ईट की छत टीन शीट फर्श कच्चा गौशाला पिल्लर ईट की छत लकड़ी बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	45.99 18.98 1.44		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	66.41		
5	शासकीय (चारागाह)	3/1	अमोल सिंह पिता खुमान सिंह पटेल (पति कौशल्या)	मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन शीट फर्श पक्का गौशाला दीवार लकड़ी की छत बरसाती पानी की होदी पक्की शौचालय पक्का छत नहीं	123.28 30.82 5.88 4.20		अस्थाई निवास
				कुल योग	164.18		
6	शासकीय (चारागाह)	3/1	हमीर सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पति ललता)	मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा दहलान गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	49.28 27.25 1.44		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	77.97		
7	शासकीय (चारागाह)	3/1	रामकली देवा गंगाराम चढार	झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत फर्शी झोपड़ी दीवार लकड़ी छत घास-फूस दीवार लकड़ी छत लकड़ी बरसाती	43.71 16.80 19.60 18.00 94.16		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	192.27		
8	शासकीय (चारागाह)	3/1	लोटन पिता सरू आदिवासी	झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती	20.80		अस्थाई निवास
				कुल योग	20.80		

9	शासकीय (चारागाह)	3/1	राजा पिता बहादुर सिंह लोधी (पत्नि बरसाती)	मकान दीवार ईट की छत टीन शेड	17.36		अस्थाई निवास
				कुल योग	17.36		
10	शासकीय (चारागाह)	3/1	बहादुर पिता बारेलाल लोधी (पत्नि शारदाबाई)	मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा	35.36		अस्थाई निवास
				मकान दीवार पथर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	26.68		
				दहलान दीवार पथर की छत लकड़ी बरसाती	46.00		
				दहलान दीवार ईट छत सीमेंटसीट	5.78		
				दहलान दीवार ईट छत सीमेंट सीट	22.20		
				गौशाला दीवार मिट्टी पथर की छत बरसाती	16.80		
				गौशाला दीवार पथर की छत बरसाती	20.40		
				कुल योग	173.22		
11	शासकीय (चारागाह)	3/1	बल्देव पिता पंचू पटैल (पत्नि राजुल)	मकान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	18.00		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				दहलान दीवार लकड़ी की छत लकड़ी बरसाती	18.90		
				गौशाला दीवार लकड़ी की छत लकड़ी बरसाती	18.00		
				दहलान दीवार पथर की छत सीमेंट सीट	15.00		
				कुल योग	69.90		
12	शासकीय (चारागाह)	3/1	छोटेलाल पिता गोपाल पटैल (पत्नि राजरानी)	मकान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	22.50		अस्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	29.70		
				झोपड़ी लकड़ी छत सीमेंट सीट	8.75		
				किंचिन दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	50.40		
				दहलान लकड़ी बरसाती	15.41		
				दहलान लकड़ी बरसाती	15.18		
				गौशाला लकड़ी बरसाती	13.30		
				कुल योग	155.24		
13	शासकीय (चारागाह)	3/1	रामसिंह पिता चम्पक पटैल	मकान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	29.67		अस्थाई निवास
				दहलान दीवाल ईट की ऊपर लकड़ी बरसाती	19.32		
				कुल योग	48.99		
14	शासकीय (चारागाह)	3/1	सोरभकुमार पिता कैलाश जैन गौरव पिता कैलाश जैन (पत्नि शावित्री)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी. सी. फर्श पक्का	27.14		अस्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की प्लास्टर नहीं छत गाटर फर्श	47.56		
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	26.55		

				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	25.48		
				दहलान लकड़ी पिलर छत टीनसेट	19.80		
				गौशाला लकड़ी बरसाती की	35.10		
				दीवार मात्र पत्थर की बनी	25.30		
				नहानी दीवार इंट की छत नहीं है।	4.00		
				कुल योग	210.93		
15	शासकीय (चारागाह)	3/1	बाबू पिता तुलसीराम पटेल (पति विनोदा)	मकान दीवार इंट की छत खपरैल फर्श कच्चा	47.20	निवास हेतु उपयोग नहीं है।	
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	12.4		
				दहलान लकड़ी बरसाती की	19.50		
				दहलान दीवार इंट की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.18		
				गौशाला दीवार पत्थर+लकड़ी छत लकड़ी बरसाती	21.75		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	7.75		
				कुल योग	132.78		
16	शासकीय (चारागाह)	3/1	दोपती बेवा तुलसीराम पटेल	मकान पक्का दीवार इंट की छत गाटर फर्श पक्का	31.36	अस्थाई निवास	
				किराना दुकान दीवार लकड़ी छत बरसाती	15.64		
				कुल योग	47.00		
17	शासकीय (चारागाह)	12	दौलत पिता रूपलाल सौर (पति इमरती बाई)	मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी. सी फर्श पक्का	27.95	स्थाई निवास	
				झोपड़ी दीवार पत्थर की छत लकड़ी घास-फूस	20.21		
				कुल योग	48.16		
18	शासकीय (चारागाह)	12	भूरे पिता उमराव सिंह लोधी (पति उषावाई)	मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	12.90	स्थाई निवास	
				झोपड़ी दीवार लकड़ी की छत बरसाती	9.30		
				कुल योग	22.20		
19	शासकीय (चारागाह)	12	गजेन्द्र पिता कल्याण	मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	28.35	अस्थाई निवास	
				झोपड़ी दीवार लकड़ी की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	6.75		
				कुल योग	35.10		
20	शासकीय (चारागाह)	12	ठाकुर बाबा का सार्वजनिक चबूतरा	चबूतरा पक्का पत्थर का	70.55	अस्थाई निवास	
				चबूतरा पत्थर का पक्का	10.92		
				कुल योग	81.47		
21	शासकीय (चारागाह)	12	संतोष पिता रूपनारायण यादव (पति संजोबाई)	मकान दीवार इंट की छत टीनसेट फर्श कच्चा	54.75	सोनू पिता संतोष यादव	स्थाई निवास
				गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती	55.35		
				दहलान दीवार पत्थर छत टीनसेट	13.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	21.12		
				चबूतरा पत्थरों का	8.10		
				गेट पिलर इंट के	3.60		
				तुलसाना पक्का	1.00		
				नहानी दीवार इंट छत टीनसेट	4.75		
				कुल योग	162.17		

22	शासकीय (चारागाह)	12	शासकीय स्कूल	मंवन पक्का छत आर.सी.सी. लैंटर (पुराना मंवन)	34.40		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	34.40		
23	शासकीय (चारागाह)	12	उमराव पिता अजमेसिंह लोधी (पति गेंदारानी)	मकान पक्का दीवार इंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का दहलान दीवार इंट+लकड़ी की छत टीन शीट मकान दीवार इंट की छत खपरेल फर्श पक्का जीना पत्थरों का शौचालय पक्का छत टीनसेट	28.81 20.10 17.42 3.60 5.52		अस्थाई निवास
				कुल योग	75.45		
24	शासकीय (चारागाह)	12	रामसींग पिता जाहर सींग लोधी (पति जानकी)	मकान डबल मंजिल दीवार इंट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल फर्श पक्का उपर की मंजिल छत खपरेल दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श पक्का दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शीट फर्श कच्चा गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	44.44 44.44 30.30 30.30 27.27	इन्द्रपाल पिता रामसींग	स्थाई निवास
				कुल योग	176.75		
25	शासकीय (चारागाह)	12	1. चिन्तामन पिता अमान सिंह (पति सविता) 2. अशोक पिता अमान सिंह (पति राधा) 3. रामगोपाल पिता अमान सिंह	मकान पक्का पिलर आर.सी.सी.दीवार इंट छत आर.सी.सी. फर्श पक्का दहलान दीवार इंट की छत खपरेल फर्श कच्चा	58.14 36.72	अभिषेक पिता चिन्तामन	स्थाई निवास
				कुल योग	94.86		
26	शासकीय (चारागाह)	12	फूलाबाई बेवा अमान सिंह	मकान दीवार इंट की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा गौशाला दीवार लकड़ी की छत बरसाती पानी की होदी पक्की गौशाला इंट की दीवार छत बरसाती लकड़ी	38.00 27.00 8.70 40.00		स्थाई निवास
				कुल योग	113.70		
27	शासकीय (चारागाह)	12	चिन्तामन पिता अमान सिंह लोधी	मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.04		अस्थाई निवास
				कुल योग	29.04		
28	शासकीय (चारागाह)	12	देवोसिंह पिता बूटा सिंह चित्तोड़िया (पति बलश्री)	झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती दीवार लकड़ी उपर बरसाती	11.88 47.50		अस्थाई निवास
				कुल योग	59.38		
29	शासकीय (चारागाह)	12	सुनीताबाई पति देवेन्द्र चित्तोड़िया	झोपड़ी निवास दीवार लकड़ी उपर बरसाती	21.00		अस्थाई निवास
				कुल योग	21.00		

30	शासकीय (चारागाह)	12	भोपाल सिंह पिता बारे सिंह लोधी (पल्नि सुलोचना)	मकान डबल मैंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल फर्श पक्का उपर की मैंजिल छत खपरेल दहलान सिंगल पक्की दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का मकान डबल मैंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीन सीट फर्श पक्का उपर की मैंजिल दीवार ईट की छत टीनशीट गौशाला दीवार पत्थर+लकड़ी छत बरसाती गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती फर्श कच्चा झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	48.15 48.15 48.15 29.96 29.96 20.70 16.50 14.40 2.64	सौरभ पिता भोपाल	स्थाई निवास
				कुल योग	258.61		
31	शासकीय (चारागाह)	12	जगत सिंह धनीराम यादव कृष्णगोपाल पिता धनीराम यादव हिस्सा 1/2	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत जिंक सीट फर्श कच्चा दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	25.80 16.20		अस्थाई निवास
				कुल योग	42.00		
32	शासकीय (चारागाह)	12	धनवाङ पत्नि नन्हे भाई लोधी	मकान कच्चा दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	23.10 17.82		अस्थाई निवास
				कुल योग	40.92		
33	शासकीय (चारागाह)	12	गोविंद सींग पिता धनश्याम यादव	मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पक्का दहलान लोहे के एनाल पर टीनसेट फर्श कच्चा	35.26 27.88		अस्थाई निवास
				कुल योग	63.14		
34	शासकीय (रास्ता)	56	श्री ठाकुर बाबा जी का मंदिर चबूतरा निर्माता – साहबसिंह	पक्का चबूतरा	25.42		अस्थाई निवास
				कुल योग	25.42		
35	शासकीय (रास्ता)	56	जयसींग पिता हरीसिंह राजपूत (पल्नि नारायण)	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी कक्रीट फर्श कच्चा झोपड़ी दीवार पत्थर की छत लकड़ी घासफूस झोपड़ी दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	35.64 25.60 36.90 1.44	संतोष पिता जयसींग	स्थाई निवास
				कुल योग	99.58		
36	शासकीय (रास्ता)	56	शासकीय प्राथमिक शाला सलैया खुर्द	अतिरिक्त कक्ष पक्का छत आर सी.सी. दहलान पक्का छत आर.सी.सी. कमरा पक्का आर.सी.सी. फर्श पक्का कमरा पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का शौचालय पक्का शौचालय पक्का	19.00 20.00 23.78 15.48 11.84 12.21		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	102.31		

37	शासकीय (रास्ता)	56	शासकीय सामुदायिक भवन (पुराना)	भवन पक्का दीवार ईंट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	27.60		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				कुल योग	27.60		
38	शासकीय (चारांगाह)	64	रूपलाल पिता प्यारेलाल रावत (पति काशीबाई)	मकान पी.एम. आवास छत आरसीसी फर्श पक्का मकान दीवार पथर की छत खपरेल फर्श कच्चा गौशाला दीवार पथर की छत खपरेल फर्श कच्चा दहलान कच्चा दीवार लकड़ी छत घास—फूस दहलान दीवार लकड़ी की छत घास फूस शौचालय पक्का—2 छत सीमेंट सीट	27.95 56.95 13.86 11.18 6.60 2.88		स्थाई निवास
				कुल योग	119.42		
39	शासकीय (चारांगाह)	72	भूरीबाई पति उमराव सिंह	मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी. सी फर्श पक्का	30.24		अस्थाई निवास
				कुल योग	30.24		
40	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	78	अभिषेक पिता विन्तामन यादव	मकान दीवार ईंट की छत खपरेल फर्श कच्चा दहलान दीवार लकड़ी छत त्रिपल बरसाती	27.74 15.75		अस्थाई निवास
				कुल योग	43.49		
41	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	इन्द्रराज पिता रूपसिंह लोधी (पति अनारकली)	मकान डबल मजिल दीवार पथर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा उपरी मजिल मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का दहलान दीवार ईंट की ऊपर टीनसेट फर्श कच्चा दहलान दीवार लकड़ी छत टीनसेट	27.30 27.30 27.30 16.80 14.70		स्थाई निवास
				कुल योग	113.40		
42	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	उदयभान पिता रूपसिंह लोधी (पति राधीबाई)	मकान डबल मजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श पक्का उपर की मजिल छत खपरेल दहलान दीवार पथर की छत टीन शेड फर्श कच्चा झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	24.96 24.96 19.20 21.00 1.44		स्थाई निवास
				कुल योग	91.56		
43	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	मीरबाई बेदा नरेन्द्र सिंह लोधी	मकान डबल मजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा छत खपरेल उपर की मजिल छत खपरेल दहलान दीवार ईंट की छत खपरेल+टीनसेट फर्श कच्चा दहलान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	22.26 22.26 13.25 13.78 1.44	प्रह्लाद पिता नरेन्द्र महेन्द्र पिता नरेन्द्र	स्थाई निवास
				कुल योग	72.99		

44	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	भगवान सिंह पिता रूपसिंह लोधी (पति किताव)	मकान डबल मैजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपरी मैजिल मकान डबल मैजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीनसेट फर्श कच्चा उपरी मैजिल दहलान दीवाल पथर की छत घास फूस बरसाती दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा गोशाला दीवार लकड़ी छत घास-फूस शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	22.80 22.80 7.25 7.25 18.24 9.28 48.40 1.44	सुरेन्द्र पिता भगवान सिंह	स्थाई निवास
				कुल योग	137.46		
45	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	राजबाई बेगा वीर सिंह लोधी	मकान डबल मैजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मैजिल छत खपरैल सिंगल दहलान दीवार ईट की छत आर.सी. सी. फर्श पक्का दहलान दीवार लकड़ी की छत बरसाती दहलान दीवार पथर की छत खपरैल फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	32.76 32.76 23.66 9.90 10.12 1.44	जसवत पिता वीरसिंह	स्थाई निवास
				कुल योग	110.64		
46	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	शिवराज पिता मर्दन सिंह लोधी (पति सल्लोबाई)	मकान डबल मैजिल दीवार पथर की बीच में गाटर फर्शी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा उपर की मैजिल छत खपरैल सिंगल दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंक्रीट फर्श पक्का दहलान घर के पीछे की दीवार लकड़ी छत टीनशेड दहलान दीवार लकड़ी छत टीन शेड शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	23.10 23.10 18.15 26.68 16.50 1.44	वीरेन्द्र पिता शिवराज सिंह	स्थाई निवास
				कुल योग	108.97		
47	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	गणेन्द्र पिता शिवराजसिंह (पति कृष्णा)	मकान डबल मैजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा उपर की मैजिल छत खपरैल सिंगल दहलान दीवार पथर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	21.93 21.93 15.81		स्थाई निवास
				कुल योग	59.67		
48	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	79	गनेश सिंह पिता मर्दन सिंह लोधी (पति चोनाबाई)	मकान डबल मैजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपरी मैजिल सिंगल दहलान दीवार पथर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का दहलान दीवार ईट की ऊपर टीनसेट फर्श पक्का भूसा घर दीवार लकड़ी छत टीन शेड दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	19.53 19.53 19.07 25.5 5.00 13.95 10.23 1.44		स्थाई निवास
				कुल योग	112.81		

49	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	79	रमेश सिंह पिता मोहनसिंग लोधी मुखिया (पत्नि लकड़ीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल छत खपरैल सिंगल दहलान दीवार इट की छत गाटर फर्शी कंक्लीट फर्श पक्का गौशाला दीवार लकड़ी उपर लकड़ी बरसाती चबूतरा पक्का माता जी का शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	44.10 44.10 20.40 25.92 5.29 1.44		स्थाई निवास
				कुल योग	141.25		
50	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	79	कमलेश सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि रामदेवी)	मकान दीवार इट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल कच्चा फर्श कच्चा गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती	17.64 43.68 22.75		स्थाई निवास
				कुल योग	84.07		
51	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	79	हरीसिंह पिता महाराज सिंह लोधी (पत्नि हल्लोबाई)	किराना दुकान निवास दीवार इट की छत टीन शेड शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	20.21 1.44		स्थाई निवास
				कुल योग	21.65		
52	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	79	राहुल पिता कल्यान सिंह (पत्नि कविता)	मकान पक्का दीवार इट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का किचन दीवार इट की छत टीनसेट गौशाला दीवार लकड़ी+इट छत खपरैल गैरिज दीवार लकड़ी उपर टीनसेट जीना पक्का शौचालय+नहानी पक्की छत सीमेट सीट	90.25 11.84 9.86 23.79 5.70 3.00		स्थाई निवास
				कुल योग	144.44		
53	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	80	प्यारेलाल पिता तिजई रैकवार (पत्नि फूलरानी)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में लकड़ी का मचेडा उपर खपरैल फर्शपक्का उपरी मंजिल मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड दहलान दीवार इट की छत खपरैल दहलान दीवार लकड़ी की उपर टीनसेट दहलान दीवार इट की छत बरसाती गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	52.17 52.17 31.85 49.95 30.80 9.20 18.63 26.00 1.44	राजेश पिता प्यारेलाल	स्थाई निवास
				कुल योग	272.21		
54	शासकीय (आबादीगॉव ठान)	81	भूरीबाई बेवा तख्त सिंह मुखिया	मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी. सी फर्श पक्का मकान दीवार पत्थर भिट्टी की छत खपरैल शौचालय पक्का छत सीमेटसीट	26.65 36.00 1.44		स्थाई निवास
				कुल योग	64.09		

55	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	चिन्तामन, अशोक, रामगोपाल पिता अमान सिंह यादव हिस्सा 1/3	मकान डबल मंजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल छत खपरैल मकान डबल मंजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल दीवार इंट छत खपरैल गौशाला दीवार इंट की छत खपड़ा	37.00 37.00 24.90 24.90 24.05		अस्थाई निवास
				कुल योग:-	147.85		
56	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	जगतसिंह पिता धनूसिंह यादव कृष्णपाल पिता धनीराम (पति दडीबहू)	मकान डबल मंजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल उपर की मंजिल छत खपरैल दहलान दीवार इंट की छत टीनसेट दहलान दीवार इंट की छत टीनसेट दहलान दीवार इंट की छत टीनसेट नहानी दीवार इंट छत टीनसेट	34.32 34.32 11.6 16.56 5.125 4.25		स्थाई निवास
				कुल योग:-	106.18		
57	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	दुर्जन पिता फूलसिंह यादव (पति छोटीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पथर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपरी मंजिल छत खपरैल दहलान दीवार पथर की छत टीन शेड गौशाला दीवार पथर की छत खपरैल फर्श कच्चा दहलान दीवार पथर की छत टीन शेड	28.16 28.16 19.84 25.60 19.20		स्थाई निवास
				कुल योग:-	120.96		
58	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	घनश्याम पिता पल्टू यादव (पति सूरजबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार इंट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल छत खपरैल दहलान दीवार पथर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का गौशाला इंट के पिल्लर उपर बरसाती सिंगल दीवाल पथर की छत खपरैल दहलान दीवार पथर की छत टीन शेड फर्श पक्का मकान डबल मंजिल दीवार इंट की बीच में गाटर फर्शी लेन्टर छत गाटर लैन्टर फर्श पक्का उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी दीवाल इंट की छत टीन शेड फर्श पक्का शोचालय+नहानी पक्की छत सीमेंट सीट बाउण्ड्रीवॉल इंट की दहलान दीवार लकड़ी की छत टीनसेट किंचन दीवार इंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का लोहे के खम्बा पर टीनशैड जीना पथरों का चबूतरा पथर का	31.08 31.08 21.46 21.00 43.22 21.30 40.40 40.40 64.89 7.75 2.18 31.45 23.31 19.95 2.03 5.25	मुन्सी पिता घनश्याम रामप्रवेश पिता घनश्याम गोविन्द पिता घनश्याम	स्थाई निवास
				कुल योग:-	406.75		

59	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	रुपनारायण पिता रामचरण यादव (पत्नि तुलसाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल उपर की मंजिल छत खपरैल दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी टीन शोड मकान डबल मंजिल दीवार इट की बीच में गाटर फर्शी लैंटर छत गाटर फर्शी उपरी मंजिल छत गाटर फर्शी गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्शी कच्चा दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शोड तुलसाना पवका शौचालय+नहानी पक्की छत नहीं	31.08 31.08 21.46 5.94 38.00 38.00 45.15 27.39 1.32 6.15	राकेश सिंह पिता रुपनारायण कमलेश पिता रुपनारायण	स्थाई निवास
				कुल योग:-	245.57		
60	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	कल्याणसिंह पिता छोटेसिंह लोधी (पत्नि पार्वती)	मकान डबल मंजिल दीवार इट की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट उपर की मंजिल गाटर फर्शी	19.25 19.25	बृजबाई पत्नी छोटेसिंह	स्थाई निवास
				कुल योग:-	38.50		
61	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	सोनू पिता कल्याण सिंह लोधी (पत्नि नेहा)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी उपर की मंजिल छत गाटरफर्शी सिंगल किराना दुकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी कंक्रीट दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल मकान डबल मंजिल दीवाल पत्थर बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल (खण्डहर) उपर की मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी जीना पत्थरों का	18.50 18.50 9.07 8.80 26.08 26.08 1.86		अस्थाई
				कुल योग:-	108.88		
62	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	7. भगवत सिंह पिता देवीसिंह (पत्नि विवेणीबाई) 8. बारे सिंह पिता खलक सिंह (पत्नि शीराबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार इट की बीच में पटमा छत खपरैल उपर की मंजिल छत खपरैल दहलान दीवार इट की छत गाटर फर्शी मकान डबल मंजिल दीवार इट की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट उपर की मंजिल छत फर्शीगाटर नीचे की मंजिल दीवार इट की उपर पटमा लकड़ी सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी पिल्लर इट के उपर टीन शोड	59.04 59.04 26.88 9.52 9.52 12.30 8.10 18.70	नीरेन्द्र पिता भगवत गिरजा बाई वेवा देवीसिंह	स्थाई निवास
				कुल योग:-	203.10		
63	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	प्रेमराम पिता भूरेन्द्र सिंह	मकान उपर की मंजिल मात्र दीवार इट की बीच में पटमा छत गाटर फर्शी	12.30		अस्थाई निवास
				कुल योग:-	12.30		

64	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	इमरत सिंह पिता नौने जू लोधी (पति लभ्मीबाई) घरम सिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पति कपूरीबाई) बाबू सिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पति हेमन्तीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल उपर की मंजिल छत खपरैल मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी कक्कीट उपर की मंजिल छत खपरैल मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल उपर की मंजिल छत खपरैल गौशाला पत्थर के पिल्लर छत टीन शेड दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी गौशाला दीवार लकड़ी की छत खपड़ा दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी जीना पत्थरों का गौशाला लकड़ी बरसाती की शौचालय दो पक्का छत सीरेंट सीट कुल योग	42.94 42.94 11.88 11.88 32.19 32.19 43.29 18.00 29.52 7.84 7.00 2.24 14.56 2.88 299.35	निर्मय सिंह पिता धरमसिंह	स्थाई निवास
65	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	लक्ष्मीबाई पति रमेश	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.50		अस्थाई निवास
66	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	लटकन सिंह पिता अर्जुन सिंह	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा दहलान दीवार ईट की छत टीनसेट गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	25.00 17.70 27.84		अस्थाई निवास
67	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	चन्द्रभानसिंह पिता लटकन सिंह लोधी	भूसा घर दीवारे पत्थर की छत खपरैल	22.04		अस्थाई निवास
68	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	रमजूसिंह पिता नौनेरू लोधी (पति अंजली)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल उपरी मंजिल दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा छत खपरैल (खण्डहर) उपरी मंजिल दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी	21.00 21.00 6.44 18.50 18.50 10.81		अस्थाई निवास
69	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	निर्मय सिंह पिता घरम सिंह (पति जानकीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल उपरी मंजिल	21.00 21.00		अस्थाई निवास
				कुल योग	42.00		

70	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	नौलेश पिता खिलान सिंह लोधी (पति दमयन्ति) चन्द्रबाई बेवा खिलान	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	34.40		स्थाई निवास
				उपर मंजिल छत खपरैल	34.40		
				दहलान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	28.38		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरा	14.40		
				गौरांगा दीवार पत्थर की छत खपरा- टीन शेड	14.10		
				छज्जा पक्का आर.सी.सी	6.88		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग	134.00		
71	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	श्री हनुमान जी महाराज का चबूतरा	हनुमान जी का चबूतरा	18.48		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				चबूतरा के अंदर मडिया	1.21		
				मैसासुर बब्बा का चबूतरा	6.76		
				कुल योग	26.45		
72	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	मंदिर श्री देव जानकी रमण जी का	मंदिर पक्का आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का मय गुम्बज	117.00		निवास हेतु उपयोग नहीं है।
				मंदिर के सामने पक्का चबूतरा	13.95		
				कुल योग	130.95		
73	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	भूरीबाई पत्नी उमराव सिंह	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	30.72	हनमत पिता उमराव	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	30.72		
				सिंगल दीवार ईट की छत गाटर फर्शी	19.84		
				कुल योग	81.28		
74	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	बाबूसिंह पिता रतन सिंह राजपूत मुखिया	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	32.50		अस्थाई निवास
				उपरी मंजिल	32.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	19.50		
				कुल योग	84.50		
75	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	शिवेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी. सी. लैंटर फर्श पक्का	68.06		अस्थाई निवास
				दीवार ईट की एवं जीना छत नहीं	10.92		
				कुल योग	78.98		
76	शासकीय (आबादीगाँव ठान)	91	1. सावित्री बाई बेवा बलरामसिंह 2. रामकुमार पिता बलराम सिंह 1/2 हिस्सा	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	34.30		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट और पत्थर उपर खपरैल	20.30		
				कुल योग	54.60		

77	शासकीय (चारागाह)	3/1	गनेश पिता राजू पटेल	मकान दीवारें इंट की उपर टीन सेट	28.90		अस्थाई निवास
				कुल योग	28.90		
78	शासकीय (चारागाह)	124	कोमल पिता हरी सिंह राजपूत (पति रेखा) दिव्यनाथ पिता हरीसिंह राजपूत (पति रचना) 1/2 हिस्सा	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरेल फर्श पक्का	53.75	अंकित पिता कोमल	स्थाई निवास
				उपर की मजिल छत खपरेल	53.75		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	13.68		
				दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती घास—फूस कच्चा	13.64		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	16.74		
				गौशाला लकड़ी बरसाती	16.64		
				गौशाला लकड़ी बरसाती	7.75		
				गौशाला लकड़ी उपर खपरेल	11.47		
				गौशाला लकड़ी बरसाती	18.29		
				पशुशाला दीवार लकड़ी छत त्रिपाल वे 37 न. चबूतरे के पास	30.00		
				शौचालय दो पक्का छत सीमेंट सीट	2.88		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत त्रिपाल बरसाती	2.20		
				कुल योग	240.79		
79	शासकीय (चारागाह)	124	श्री दुर्गा माता जी का मंदिर	मंदिर पक्का छत गाटर फर्शी लेन्टर	14.00		अस्थाई निवास
				चबूतरा फर्शी फर्शी उपर टीनसेट	15.98		
				कुल योग	29.98		
				महायोग :-	8125.04		

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबोधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का सदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथोचित पंचायत घर

- (8) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समूदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकवा 12.37 हेक्ट. मे से से रकवा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकरो. और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसंम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-735—भू—अर्जन—2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल, के आदेश पत्र क्र. —22 ऐ/101/2016/एम०पी०एस०/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत “सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रैवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा—11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रोत्तेकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—खैरीखुद प०ह०न—31 ब.न.—54 रा.नि.म. —कपुर्दा	रकबा— 0.012 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—चौरई ¹ जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के हरदुआ वितरक नहर की 1एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-02 छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-736—भू—अर्जन—2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपचारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बलभंग भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. -22 ऐ/101/2016/एम०पी०एस०/३१/१३६१ भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, की धारा-6 (2) के अन्तर्गत “सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम—सारना प०ह०न—२६ ब.न.—५५२ रा.नि.म.—सारना	रकवा—०.२०० हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माईको काम्पलेक्स—२ के पाप हाउस निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला—छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना पक्का बांध उप संभाग कमांक—३ सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन के ६० दिनों के अंदर भू—अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-737-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, मोम्पाल, के आदेश पत्र क्र. -22 ए/101/2016/एम०पी०एस०/31/1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनर्रक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय घृवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्रयोगरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम माजीपानी कला प0ह0न-53 व.न.-427 रा.नि.मं. -पिंडरईकला	रकबा— 0.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	ऐच व्यपवर्तन परियोजना के दांगी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0P0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (M0P0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग कमांक-1 चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग कमांक-1 चौरई तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), हरसूद,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश**

पत्र क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-280-रा.प्र.क्र.-0003-अ-59-2022-23

हरसूद, दिनांक 30 जनवरी 2023

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल, एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3686/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-मैदारानी, प.ह.न.-18, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - मैदारानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :- 28/2	. 0.006
			योग निजी भूमि	01 0.006
खण्डवा	खालवा	ग्राम - मैदारानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :- 7	0.001
			योग शासकीय भूमि	181/1 0.005
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	02 0.006	03 0.012

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-268-रा.प्र.क्र.-0005-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3644/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा				उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
			28	0.013
			30	0.015
			33	0.011
			36	0.013
			39/2	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मदरानी प.ह.न.—06,	40/3	0.012
			40/4	0.017
			53	0.003
			52	0.025
			51	0.021
			49	0.004
			207	0.024
			50	0.002
			206	0.001
			208	0.003
			212/2	0.010
			211	0.014
			210	0.015
योग निजी भूमि		18	0.231	
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			35	0.002
			37	0.002
			44	0.002
			29	0.002
योग शासकीय भूमि			04	0.008
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			22	0.239

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-302-रा.प्र.क्र.-0007-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एंड कट (भूमि) के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4712/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एंड कट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			2	0.147
			5/1/1	0.009
			5/3	0.021
			5/5	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	11/1	0.011
				0.006
			11/2	0.040
				0.004
			13/1	0.002
				0.003
			13/2	0.017
				0.001
			15/1	0.017
			15/2	0.007
			16	0.043
			23	0.018
			25	0.012
			50	0.079
			49	0.018
			32/1	0.015
			47/3	0.018
			292	0.041
			293	0.037
			294/1	0.020
				0.006
			294/2	0.014
			302/4	0.007
			302/5	0.012
			303/1	0.009
			303/2	0.011
			304/3	0.018
			306/2	0.020
			308/2	0.032
			314/1	0.014
			314/2	0.012
			313	0.020
			312/1	0.006
			310/1	0.016
			310/2	0.021
			310/3	0.023
			348/1	0.012
			19	0.001
			20	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	69/3 68/1 68/2 68/3 63/1 63/2 60/1 60/2/1 59 250/1/1/1/1 250/1/2 249/1 248/1 247/2	0.008 0.003 0.002 0.002 0.003 0.008 0.003 0.003 0.004 0.001 0.003 0.004 0.004 0.001
योग निजी भूमि			52	0.897
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			3	0.003
			9	0.002
			12	0.005 0.001 0.001
			42	0.001
			287	0.004 0.001
			339	0.004
			14	0.001
योग शासकीय भूमि			07	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			59	0.920

पत्र क्र. क—वा—१—भू—अर्जन—२०२३—२९६—रा.प्र.क्र.—०००८—अ—५९—२०२२—२३

प्रारूप—घ
नियम ६ देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् २०१३) (~~जनसंझर्में~~ इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— ४७४२/क/वा.-१/भू—अर्जन/२०२२, हरसूद, दिनांक २२.११.२०२२ द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— ०२ से पम्प हाऊस क्रमांक— ३ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम—मल्हारगढ़, प.ह.न.—१८/४२, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, कंबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक २५.११.२०२२ को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— ४ की उपधारा (१) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

∴ अनुसूची ∴

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मल्हारगढ़, प.ह.न.—१८/४२	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			295	0.001
			296/1	0.011
			304/2	0.005
			290/2	0.001
			304/3	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मल्हारगढ़, प.ड.न.-18/42	287/2 284/2 283 280/6 280/5 280/4 279 268/1 269 256 247/3 248/1 2 27 24 28/1 35/2 36 49 48/2 48/1 52/2 70/1 69/2 69/1 68/2	0.013 0.005 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.013 0.007 0.007 0.001 0.001 0.009 0.002 0.003 0.008 0.008 0.005 0.001 0.004 0.001 0.008 0.012 0.010 0.006 0.006 0.003 0.001
योग निजी भूमि			31	0.168
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मल्हारगढ़, प.ड.न.-18/42	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			305 306 273 270 246 1 19 29 45 62	0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
योग शासकीय भूमि			10	0.010
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			41	0.178

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-262-रा.प्र.क्र.-0011-अ-59-2022-23

प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ~~परिसर~~ ~~इसमें~~ इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4757/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार की अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील .	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेपर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			23/1	0.019
			23/2	0.018
			23/3	.0.018
			87/3	0.022
			86	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	85	0.008
			101/2/2	0.024
			101/3/1	0.009
			101/3/2	0.007
				0.010
			109/1	0.003
				0.005
			110	0.018
			114	0.018
			189	0.008
			190/2	0.022
			188/2	0.012
			190/1	0.003
			188/1	0.009
				0.002
			169	0.006
			173	0.007
			172	0.005
			176	0.003
			177	0.002
			162	0.004
			161	0.009
			160/1	0.008
			391	0.012
			160/2	0.002
			420	0.005
			419/2	0.003
			419/1	0.003
			418	0.007
			417	0.009
			416	0.007
			423/1	0.006
			423/2	0.004
			415/2	0.009
			415/4	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	431/1	0.018
			493/1/1	0.002
			493/1/2	0.003
			493/2	0.014
			494	0.001
			497	0.004
				0.014
			496	0.003
				0.008
			486	0.018
			480	0.007
			469	0.013
			465	0.006
			463	0.008
			487/2	0.004
			487/1	0.003
			489	0.004
			109/2	0.004
			108	0.005
			107	0.004
			75	0.003
			73	0.004
			71	0.009
			212/1	0.012
			216/4	0.001
			216/5	0.008
			216/1	0.006
			214/1	0.016
			214/4	0.005
			386/1/1	0.007
384/1	0.003			
383	0.017			
384/2	0.022			
382/1	0.003			
385/3	0.017			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2.	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	385/4 527 525 524 597 614/1 614/2 614/3	0.010 0.003 0.006 . 0.027 0.002 0.017 0.012 0.004
		योग निजी भूमि	78	0.720
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :- 1 201 183 204 205 163 165 392 437 468 686 70 69 64 63 58 57 213 526 532 533 615	0.004 0.012 0.014 0.025 0.010 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.006 0.001 0.004 0.002 0.016 0.001 0.004 0.016 0.005 0.002
		योग शासकीय भूमि	22	0.131
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	100	0.851

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-265-रा.प्र.क्र.-0013-अ-59-2022-23

प्रारूप—घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डकट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4727/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			47/1	0.024
			47/2	0.021
			62	0.036
			54	0.008
			55/1	.0.049

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम –चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	56/1 56/2 56/3 57/1 57/2 57/9 57/3 57/4/2 57/6 57/7 117/2 115/6 115/2 115/7 132/1 133/1 135/2 0.026 142/2 0.011 0.007 142/3 142/5 142/4 141/1/2 141/1/3 141/2 140/4 258/1 259/1 264/1 264/3 264/4 266 267/1 268/2 139/1 139/2	0.017 0.015 0.015 0.014 0.007 0.006 0.002 0.011 0.011 0.006 0.021 0.006 0.019 0.034 0.007 0.012 0.006 0.026 0.011 0.007 0.007 0.010 0.011 0.013 0.012 0.013 0.007 0.015 0.023 0.020 0.013 0.014 0.023 0.021 0.038 0.008 0.008
योग निजी भूमि			40	0.647
खण्डवा	खालवा	ग्राम –चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			116	0.002
			136	0.002
			137	0.016
			134	0.002
योग शासकीय भूमि			04	0.022
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			44	0.669

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-277-रा.प्र.क्र.-0018-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टर (भौमि) के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3641/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हस्तृद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -सुकवी रैथ्यत, प.ह.न.-16, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा				
खालवा				उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
				0.023
				543/1 0.010
				0.005
				543/2 0.012
				534/1 0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवी रैथ्यत, प.ह.न.-16,	533/2	0.004
			533/1	0.011
			510/1	0.007
			509/1/1	0.013
			509/1/2	0.007
			509/2/1	0.002
			507	0.022
			506/2	0.015
			491/3	0.008
			491/2	0.010
			491/1	0.013
			459	0.026
			432/2/1	0.004
			431/2	0.002
			431/3	0.002
			431/4	0.002
			431/5	0.002
			433/1	0.015
			434	0.009
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	खालवा	ग्राम -सुकवी रैथ्यत, प.ह.न.-16,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			539	0.002
			535	0.001
			499	0.001
			492	0.001
			435	0.001
			460	0.001
योग शासकीय भूमि			06	0.007
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			28	0.240

पत्र क्र. क—वा—१—भू—अर्जन—२०२३—२९३—रा.प्र.क्र.—००२८—अ—५९—२०२२—२३

प्रारूप—घ
नियम ६ देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल, इंडर्कट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् २०१३) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— ३६८३/क/वा.—१/भू—अर्जन/२०२२, हरसूद, दिनांक ०५.०९.२०२२ द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— ०२ से पम्प हाऊस क्रमांक— ०३ तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— ०२ के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—भड़ग्या, प.ह.न.—१३, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक १६.०९.२०२२ को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— ४ की उपधारा (१) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	खालवा	ग्राम—भड़ग्या, प.ह.न.—१३,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			64	0.003
योग निजी भूमि		०१	०.००३	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —भडंगया, प.ह.न.—13,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			151	0.001
			130	0.004
			129	.0001
			107	0.036
				0.006
			108	0.011
			109	0.001
			69	0.003
			71	0.003
			70	0.009
			61	0.002
			66	0.003
			65	0.005
		योग शासकीय भूमि	12	0.085
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	13	0.088

पत्र क्र. क—वा—१—भू—अर्जन—२०२३—३०५—रा.प्र.क्र.—००३१—अ—५९—२०२२—२३

प्रारूप—घ
नियम ६ देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् 2013) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— ४७१५/क/वा.—१/भू—अर्जन/२०२२, हरसूद, दिनांक २२.११.२०२२ द्वारा, राज्य सरकार ने गालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— ०२ से पम्प हाऊस क्रमांक— ०३ तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— ०२ तथा आर.एम.—२ में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—अहमद नगर प.ह.न. —१७, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टर को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक २५.११.२०२२ को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नौटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— ४ की उपधारा (१) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	खालवा	ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—१७	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			40	0.008
			41	0.041
			42	0.007
			44	0.001
			52	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के आधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खण्डवा	खालवा	ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—17	45	0.020		
			265	0.001		
			53	0.007		
			262/2	0.041		
			201/4	0.018		
			56/3	0.083		
			201/1	0.032		
			203/1/1	0.002		
			203/1/2	0.014		
			203/2	0.014		
			204	0.031		
			253	0.012		
				0.046		
				0.002		
				0.001		
			250/1	0.007		
				0.040		
			251	0.018		
				0.019		
			245/1	0.033		
			245/2	0.015		
			248	0.020		
योग निजी भूमि			22	0.542		
खण्डवा	खालवा	ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—17	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-			
			272	0.001		
				0.003		
			43	0.001		
				0.026		
			51	0.001		
				0.003		
			64	0.047		
			54	0.004		
				0.007		
			55	0.002		
			202	0.001		
			205	0.001		
				0.002		
खण्डवा	खालवा	ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—17	208	0.003		
			252	0.001		
				0.003		
			206	0.001		
				0.005		
			247	0.011		
योग शासकीय भूमि			12	0.154		
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			34	0.696		

पत्र क्र. क—वा—1—भू—अर्जन—2023—290—रा.प्र.क्र.—0034—अ—59—2022—23

प्रारूप—घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कृष्णगढ़, डुर्कंड (भूमि) के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 4739/क/वा.—1/भू—अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—कुंदई माल, प.ह.न.—11, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा				उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
		ग्राम—कुंदई माल, प.ह.न.—11	229	0.001
			228	0.019
			251/2	0.004
			251/1	0.020
			254	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपरोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम –कुंदई माल, प.ह.न.–11	200/2 200/3 190/2 191/1 176/1 174 117/1 117/2 118/3 118/6 120/3 119/2 64/1 64/3 62 478 479 491/1 481/1 490 489 496/2 525/1 526 535/2 520 521 505 421/1 420/1 419/2	0.003 0.003 0.005 0.008 0.005 0.014 0.007 0.006 0.003 0.014 0.002 0.004 0.005 0.011 0.005 0.008 0.013 0.008 0.007 0.019 0.021 0.005 0.013 0.028 0.004 0.001 0.001 0.009 0.013 0.006 0.004 0.005 0.006 0.014 0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	420/2	0.005
			419/1	0.005
			418/1	0.005
			418/4	0.007
			417/2	0.001
			397/2	0.004
			397/1	0.001
			394/4	0.006
			394/5/1	0.003
			394/5/2	0.006
			394/1/1	0.003
			394/1/2	0.005
			394/3	0.012
			535/1	0.004
			536	0.010
			515	0.003
			514	0.001
			507	0.011
			413	0.001
			412/1	0.001
			412/2	0.003
			412/3	0.003
			411/3	0.003
			411/4	0.002
			408/5	0.003
408/4	0.013			
408/3	0.011			
योग निजी भूमि		63	0.476	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —कुंदर्द माल, प.ह.न.—11	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			274	0.001
			216	0.001
			200/1	0.007
			180	0.001
			172	0.011
			140	0.001
			494	0.001
			512	0.001
			422	0.001
			516	0.001
			513	0.001
			512	0.002
			407	0.001
		योग शासकीय भूमि	13	0.030
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	76	0.506

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-274-रा.प्र.क्र.-0041-अ-59-2022-23

प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, ~~खालवा खण्डवा भूमि~~ के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिस इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4721/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की रकीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में ज़्येल परिवहन हेतु ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

• :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			93	0.004
			100/2	0.009
			102/2	0.005
			102/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —सात्पाखेड़ा, प.ह.न.—10	84/1	0.003
			83/5	0.007
			83/4	0.011
			83/3	0.001
			83/2	0.001
			80/2	0.005
			80/1/1	0.011
			525/1	0.007
			527/1	0.001
			525/2	0.016
			525/3	0.018
			524/2	0.008
			530/1	0.012
			530/2	0.002
			530/3	0.015
			530/4	0.014
			530/5	0.001
			530/6	0.015
			543/3	0.032
			542/1	0.001
			540/1	0.008
			542/2	0.029
				0.006
				0.008
			541	0.001
			537	0.007
			349	0.011
			309	0.021
			311/2	0.008
			341/1	0.010
			341/2	0.006
			342	0.014
			343	0.012
			339	0.006
			351/1	0.044
			350/2	0.014
350/1	0.022			
362	0.024			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10	492	0.028
			363	0.007
			488	0.030
			482	0.006
			83/1	0.003
			486	0.010
			448	0.016
				0.006
			484	0.002
			483	0.002
			450/1	0.007
			449	0.008
			443	0.002
			452	0.042
			453	0.005
			454	0.003
			455	0.003
			438/2/2	0.012
			438/1	0.003
			439/2	0.007
			438/2/1	0.011
			439/3	0.009
			439/1	0.008
			435	0.003
			401	0.024
			402/1	0.019
			400/4	0.015
			400/5	0.012
			400/2	0.017
			440	0.001
			393/2/1	0.005
			393/2/2	0.004
			393/1/1	0.003
			393/1/2	0.003
			393/1/3	0.005
			391/1	0.008
			391/2	0.008
			390	0.012
योग निजी भूमि			77	0.840

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			99	0.001
			101	0.001
			103	0.008
			526	0.001
			532	0.001
			539	0.002
			347	0.001
			490	0.001
			489	0.002
			485	0.001
			451	0.001
			395	0.001
				0.001
			441/1	0.017
		योग शासकीय भूमि	13	0.039
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	90	0.879

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-287-रा.प्र.क्र.-0042-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन ~~फ्रेबल एवं डक्ट~~ भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-~~५३६१~~/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - अम्बापाट, प.ह.न.-40, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिरवामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - अम्बापाट, प.ह.न.-40	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			102	0.001
			103	0.011
			93	0.003
			92	0.006
		योग शासकीय भूमि	04	0.021

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-299-रा.प्र.क्र.-0044-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन कंपनी लिमिटेड (पीपीएल) के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) के अनुसार इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3656/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पर्य हाऊस क्रमांक- 02 से पर्य हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			108/2	0.004
			109/1	0.007
			109/2	0.003
			110	0.004
			111/1	0.005
खण्डवा	खालवा	ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,	112/2	0.001
			99/3	0.001
			99/5	0.009
			99/1	0.001
			97/1	0.011
			98	0.001
			96/2	0.008
			95/1	0.004
			95/2	0.002
		कुल योग (निजी भूमि)	14	10.061

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-308-रा.प्र.क्र.-0050-अ-59-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3650/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 के अंतर्गत विछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अनित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			145	0.006
			144	0.001
			146	0.004
			147	0.007 0.003
खण्डवा	खालवा	ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32,	140	0.007
			139	0.007
			137	0.014
			136	0.001
			253	0.002
			09	0.052
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			142	0.001
			203	0.001
		योग शासकीय भूमि	02	0.002
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	11	0.054

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-271-रा.प्र.क्र.-0056-अ-59-2022-23

प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4745/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रजूर माल, प.ह.न.-03	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			6/1	0.014
			15/2	0.009
			15/1	0.003
			14/1	0.004
			13/2	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अनित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रजूर माल, प.ह.न.—03	13/1	0.002
			12	0.009
			11	0.003
			43/1	0.002
			43/2	0.003
			44	0.004
			45	0.005
			46/2	0.004
			46/3	0.005
			46/1	0.005
			149	0.001
			148	0.005
				0.004
			55	0.002
			56	0.009
			59/1	0.004
			59/2	0.004
			58/7	0.002
			58/6	0.002
			58/4	0.002
			58/5	0.002
			67	0.011
			70	0.010
			71	0.009
			77/3	0.001
			72/2	0.002
			77/1	0.002
				0.002
			77/2	0.006
			84/2	0.013
			103	0.003
			556/2	0.005
			104	0.003
			99	0.009
			95	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम –रजूर माल, प.ह.न.–03	557 561 555 554 575 638/1 639/1 639/2 640 381 382 385 405/1 384/2 405/2 404 403 397 401 399/2 464/1 464/2 467/2 467/1 478 475/1 475/2 475/3 480/1 475/4 479/4 835 836 844/2 844/3 844/4 844/5	0.009 0.001 0.005 0.023 0.015 0.001 0.011 0.004 0.003 0.004 0.008 0.001 0.006 0.003 0.002 0.001 0.007 0.005 0.007 0.001 0.001 0.002 0.006 0.001 0.001 0.002 0.004 0.002 0.004 0.004 0.004
		योग निजी भूमि	75	0.369

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रजूर माल, प.ह.न.—03	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			50	0.001
			120	0.002
			100	0.009
			569	0.002
			574	0.001
			573	0.002
			578	0.001
			579	0.004
			580	0.014
			581	0.015
			582	0.015
			631	0.002
			632	0.015
			633	0.017
			634	0.001
			630	0.006
			635	0.001
			636	0.009
			637	0.005
			402	0.001
			465	0.001
			468	0.001
			831	0.005
			839	0.005
			837	0.005
		योग शासकीय भूमि	25	0.166
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	100	0.535

दलीप कुमार, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील—सरदारपुर,
जिला, धार मध्यप्रदेश

पत्र क्र.—158—भू—अर्जन—री—1—2022—रा.प्र.क्र.—14—आ—82—2022—23

मनावर, दिनांक 25 जनवरी 2022

प्ररूप—ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—ऐटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्यवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक—3 से पम्प हाऊस कमांक—4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—चुनप्पा, प.ह.न.—21, रा.नि.म.—01, गंधवानी, तहसील—गंधवानी, जिला—धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—30, मनावर, जिला—धार (मप्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्पा, प.ह.न.—21,	631/3	0.104
			646	0.042
			647/1	0.014
			649	0.070
			666	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्पा, प.ह.न.—21,	667	0.010
			671/1	0.042
			600	0.056
			599	0.090
			610/1/1	0.010
			709	0.060
			710	0.032
			713	0.034
			715	0.040
			740	0.045
			716	0.035
			719/1	0.093
			718	0.050
			741	0.038
			739	0.024
			918	0.020
			733	0.036
			732	0.017
			919	0.031
			948	0.049
			946/1/1	0.015
			949/1	0.013
			946/1/2	0.013
			1042	0.017
			945	0.038
			946/1/3	0.045
			943/2	0.024
			1017/2	0.013
			1017/3/1/1/3	0.049

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्पा, प.ह.न.—21,	457/2/2	0.036	
			456/1	0.010	
			456/2	0.036	
			371/1/2	0.019	
			371/1/1	0.029	
			371/1/3	0.020	
			416/2	0.033	
			415	0.051	
			410	0.077	
			409	0.167	
.		149	0.006		
		कुल योग	45	1.777	

पत्र क्र.-153—भू—अर्जन—री-1—2022—रा.प्र.क्र.—14—अ—82—2022—23

प्ररूप—ख
{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—पेटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—केलीकलां, प.ह.न.—02, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील—गंधवानी, जिला—धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यवित जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—केलीकलां, प.ह.न.—02	44/3	0.035
			107/13	0.012
			107/7	0.053
			107/6	0.036
			109/1/8	0.050
धार	गंधवानी	ग्राम—केलीकलां, प.ह.न.—02	109/17	0.063
			109/14	0.054
			178/21/1/1	0.030
कुल योग			08	0.333

पत्र क्र.-311-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईग्रो उद्योग के अंतर्गत डी.सी.-2 से विछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बाकेडी, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राविकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बाकेडी, प.ह.नं.-91,	101/2	0.022
			101/1	0.028
			100	0.036
			103	0.002
			154	0.014

धार	सरदारपुर	ग्राम-बाकेडी, प.ह.नं.-91,	152	0.031
			151/2	0.006
			151/1	0.043
			149	0.064
			150	0.009
			147/2/1	0.054
		कुल योग	11	0.309

पत्र क्र.-296-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91,	28/4	0.019
			27/1	0.043
			23	0.078
कुल योग			03	0.140

पत्र क्र.-291-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
 {नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्योगों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,	458	0.079
			447	0.048
			441/1	0.023
			435/1	0.052
			417/2	0.017
धार	सरदारपुर	ग्राम-ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,	417/1	0.027
			418	0.019
			408/2/1	0.012
			408/1	0.014
			412/1	0.062
			410	0.021
			338	0.007
			343	0.014
			256/3	0.005
कुल योग			14	0.400

पत्र क्र.-306-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91, रा.नि.सं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91,	241/1/2/1 240/2/1 241/1/1 238 / 237	0.022 0.006 0.006 0.007 0.034

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—आंतेड़ी, प.ह.नं.—91,	239/2 174/2 174/1 173/2 227/1/2 65/1/2 175/3 175/2 233 194/2 176/6 176/5 176/4 176/3 177/3 62/4 227/1/1 65/1/1 178/6 62/3 178/3 62/2 181 186 187 196/2 196/1 197 198 65/2 62/1	0.022 0.029 0.010 0.001 0.018 0.020 0.016 0.014 0.009 0.010 0.011 0.010 0.007 0.006 0.002 0.006 0.016 0.022 0.007 0.008 0.008 0.016 0.015 0.015 0.021 0.018 0.065 0.020 0.024 0.006 0.032
कुल योग			36	0.559

पत्र क्र.-301-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईंको उद्घवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईंनर पाईप नहर आर.एम.-02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79, रा. नि.म.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79	100	0.067
			98	0.101
			85/2	0.034
			181/2	0.038
			86/6	0.068

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—गोलपुर, प.ह.नं.—79	86/5	0.011
			86/4	0.010
			86/3	0.010
			86/2	0.010
			86/1	0.028
			65/2/3	0.058
			67	0.052
			97	0.069
			101	0.034
			174	0.031
			91	0.026
			87/7	0.018
			87/6	0.007
			89/3	0.044
			145/3	0.015
			89/2	0.013
			145/1	0.028
			22/2	0.010
			16/1	0.065
			147/3	0.066
			20	0.038
			18/1/4	0.050
			18/1/2	0.004
			17	0.016
			16/2/2	0.020
			16/2/1	0.055
			15/8	0.008
			15/6	0.008
			15/7	0.033
			200/2	0.010
			173/2	0.012
			197/1	0.043
			197/2	0.066
			193	0.026
			190	0.040
			213/9	0.033
			213/27	0.010
			213/26	0.023
			213/39	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—गोलपुरा, प.ह.नं.—79	213/38	0.017
			213/35	0.022
			214/3	0.010
			213/37	0.021
			213/36/1	0.022
			214/4/1	0.004
			255	0.018
			254	0.022
			259	0.124
			134	0.036
			261	0.005
			263/9	0.010
			263/10	0.040
			263/11	0.023
			263/12	0.006
			265/23	0.004
			265/24	0.013
			351/1	0.004
			291/1	0.079
			291/2	0.013
			293	0.016
			181/1	0.028
			182	0.030
			185	0.041
			176/1	0.059
			137	0.070
			136/6	0.034
			133/2	0.015
			141/2	0.022
			141/3/1	0.007
			141/1	0.033
			144	0.018
			145/2	0.020
			147/2	0.033
			147/4	0.016
		कुल योग	79	2.357

पत्र क्र.-331-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0017-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 व आर.एम.-05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79,	147/2	0.008
			148/1	0.011
			148/2	0.008
			157/1	0.020
			148/3	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—छीपापुरा, प.ह.नं.—79,	157/2 148/4 157/3 143 374/3 374/2 374/1 358/4 359 158 157/4/2 166/1 167 169/1 183 185 186 187 180 179 188 192/2 114/3 113/3 112/3 112/2 111/3 111/2 111/1	0.016 0.018 0.020 0.022 0.002 0.006 0.005 0.015 0.011 0.033 0.021 0.052 0.014 0.024 0.025 0.057 0.011 0.006 0.024 0.069 0.012 0.003 0.020 0.039 0.004 0.025 0.022 0.006
		कुल योग	34	/ 0.646

पत्र क्र.-316-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0004-आ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उदयहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-02 व डी.एम.-03 एवं डी.एम.-3 की बांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84,	167/1/1/1	0.030
			167/1/1/2	0.069
			167/1/2	0.043
			166/2	0.034
			166/1	0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.—84,	117/1/1 117/2 118 119 122 125 129/1 96 97 95 99/2/3 90/1 90/2 90/3 82/2/2 82/2/1 82/3 83/1/2 83/1/1 64/1 65/2 64/2 62 61 184/3/1 189/2/1/2 185/1 184/3/2 185/2 186/1 186/2 186/3 194/1/2 194/2 216/2 206/2/4 206/2/2 206/2/1 206/2/3 206/1 207 187/1	0.056 0.013 0.058 0.055 0.016 0.019 0.042 0.022 0.014 0.038 0.032 0.018 0.018 0.039 0.018 0.058 0.025 0.040 0.039 0.016 0.040 0.017 0.013 0.066 0.046 0.180 0.010 0.045 0.035 0.046 0.022 0.005 0.059 0.062 0.035 0.009 0.032 0.030 0.035 0.032 0.004 0.060
कुल योग			47	1.727

पत्र क्र.-347-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23

प्रलूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाड़ुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-डाढ़ूर, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-डाढ़ूर, प.ह.नं.-95,	51/2	0.036
			51/1/2	0.011
			50	0.078
			56/1	0.044
			52/1	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेमीटर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—डाढूर, प.ह.न.—95,	56/2	0.028
			56/3	0.065
			65	0.015
			64	0.067
			66	0.022
			142/1	0.047
			142/2	0.086
			116/2	0.058
			116/1	0.038
			115	0.030
			107	0.021
			106	0.072
			105	0.053
			104	0.030
			103/3	0.024
			58	0.043
			60/1	0.023
			139	0.092
			122/5	0.016
			122/4	0.011
कुल योग			28	1.227

पत्र क्र.-336-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0025-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्योग नियम के अंतर्गत डी.सी.-2 से विछाई जाने वाली डी.एम.-3 एवं डी.एम.-4 पाईप नहर एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर आर.एम.-02 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चालनी, प.ह.न.-92, रा.नि.म.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाई के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-चालनी, प.ह.न.-92,	2	0.015
			5	0.033
			6	0.072
			7	0.005
		/	3	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी ठल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये आर्जित की जाने वाली मूलि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—चालनी, प.ह.नं.—92,	24	0.016
			57	0.043
			25	0.059
			21/1	0.040
			21/2	0.040
			58	0.108
			41	0.004
			40/1	0.037
			40/2	0.025
			37/3	0.007
			89	0.011
			90	0.011
			91	0.069
			93	0.046
			94	0.040
			126	0.018
			123	0.039
			122	0.033
			124	0.026
			120	0.048
			119	0.014
			118	0.028
			138	0.040
			141	0.042
			145	0.024
			143	0.006
			144	0.082
			404	0.150
			409	0.047
			410	0.011
			411	0.026
			412	0.008
			379	0.044
			380	0.013
			377	0.029
			378	0.023
			369	0.048
			370	0.014
			371	0.055
धार	सरदारपुर	ग्राम—चालनी, प.ह.नं.—92,	367	0.002
			373	0.050
			511	0.087
			512/1	0.067
			530	0.018
			529	0.077
			531	0.030
			532	0.061
			611	0.014
		कुल योग	53	1.956

पत्र क्र.-342-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0026-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर भाईंको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खरेली, प.ह.नं.-78, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आवेदन भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरेली, प.ह.नं.-78	681	0.005
			683	0.051
			685/1	0.020
			684	0.026
			696	0.010
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरेली, प.ह.नं.-78	699	0.014
			622	0.006
			631	0.028
			624	0.031
			630	0.002
कुल योग			10	0.193

/

पत्र क्र.-321-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0028-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईफ्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम.-04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,	35/1	0.042
			34/1	0.084
			34/2	0.004
			33/2	0.039
			33/1/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—मारोल, प.ह.नं.—95,	33/1/2	0.023
			31/1	0.022
			32/1	0.038
			21/3	0.054
			21/2	0.055
			21/1	0.055
			22	0.056
			23	0.036
			13	0.091
			12/1	0.039
			9	0.068
			10	0.056
			8/5	0.023
			92	0.018
			8/2	0.021
			8/3	0.031
			8/4	0.009
			58/1	0.018
			7	0.029
			57	0.047
			59	0.015
			61	0.010
			91/1	0.026
कुल योग			28	1.030

पत्र क्र.-326-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0030-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्योगों के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01, डी.एम.-2, डी.एम.-7 एवं डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-04 व आर.एम.-3 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-हातोद, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन चंती, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-हातोद, प.ह.नं.-84,	673/3/2	0.041
			673/2/1	0.055
			673/2/2	0.010
			672	0.030
			670/3	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
धार	सरदारपुर	ग्राम—हातोद, प.ह.नं.—84,	670/2 670/1 684/3 684/2 684/1 706 725 729 744 750/2 749 949 957/2/2 957/1/2 957/3/1/1 957/3/1/2 957/3/2 957/1/1 955 971 975 974 1228/2 1211/2 1213/2/1 1213/2/4 1213/1/1 1212/1/1 1212/1/2 1212/2 1208/2/2 1208/2/1 1202/3/1/1 1202/1/1/1 1202/2/1/1/1 1202/2/1/1/2 1065/4 1065/5/1 1065/5/2/1	0.023 0.082 0.045 0.047 0.019 0.018 0.029 0.024 0.048 0.055 0.079 0.058 0.005 0.003 0.011 0.011 0.020 0.013 0.035 0.040 0.038 0.044 0.028 0.035 0.014 0.057 0.026 0.010 0.011 0.014 0.028 0.021 0.053 0.013 0.021 0.020 0.040 0.054 0.015	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—हातोद, प.ह.नं.—84,	1065/5/2/2 1067 1060/2 1213/2/2 1213/2/3 1213/2/5 1213/1/3 1227/2/2 1226/1/1/1 1226/1/1/2 1226/2/1/1 1226/2/2 1226/2/4/1 1226/2/4/2 1176 1224 1177/3 1178/1 1178/2/1 1147/1 1146/1/2 1146/1/1 1145 1140/3 1141/1 1141/2 1142 1143/3 1066/2 1066/1 675/1 675/2/1 675/2/2 641/1/5 184 185 210/1 209/1 209/2	0.037 0.056 0.013 0.028 0.012 0.024 0.033 0.012 0.022 0.005 0.045 0.042 0.042 0.010 0.048 0.010 0.056 0.023 0.018 0.005 0.046 0.012 0.024 0.026 0.019 0.019 0.039 0.010 0.033 0.022 0.105 0.068 0.069 0.040 0.005 0.002 0.032 0.040 0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये आर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—हातोद, प.ह.न.—84,	189/3/1/1	0.029
			189/2/3	0.019
			189/2/2	0.022
			195/14	0.029
			195/13	0.033
			195/10	0.024
			195/9	0.027
			281/3	0.073
			285/2	0.014
			282/4	0.023
			282/3	0.020
			283/3	0.012
			114/2	0.038
			283/2	0.014
			114/1	0.004
			283/1	0.013
			114/3	0.035
			126	0.019
			124	0.021
			117	0.020
			105/2	0.027
			113/4	0.018
			113/3	0.009
कुल योग			105	3.099

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्रमांक / . 318 / आर-1083750 / 2023 / 10-3 : भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक की वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

- वनखण्ड ऊमरी बीरान पेच-1 N 25°13'28.5" से N 25°14'2.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'48.5" से E 77°57'22.5" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-2 N 25°14'2.8" से N 25°14'21.9" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'58.3" से E 77°57'28.5" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-3 N 25°14'27.3" से N 25°15'1.5" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'44.7" से E 77°57'35.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-4 N 25°14'50.3" से N 25°15'11.8" उत्तर अक्षांश एवं E 77°57'0" से E 77°57'34.8" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-5 N 25°15'1.7" से N 25°15'17.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'31.4" से E 77°56'50.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-6 N 25°15'9.4" से N 25°15'21.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'32.5" से E 77°56'48.7" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-7 N 25°15'24.9" से N 25°15'48.3" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'24" से E 77°56'47.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-8 N 25°14'49.3" से N 25°14'59.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77°56'27.8" से E 77°56'42.5" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-9 N 25°14'39.1" से N 25°15'20.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77°55'41.3" से E 77°56'30.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-10 N 25°15'16.2" से N 25°15'30.3" उत्तर अक्षांश एवं E 77°55'47.9" से E 77°56'12.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
- वनखण्ड नेगुवां पेच-11 N 25°15'29.6" से N 25°15'42.7" से उत्तर अक्षांश एवं E 77°55'50.5" से E 77°56'12.1" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला:- शिवपुरी
वनमण्डल:- शिवपुरी (सा.)

तहसील:- पिछोर
वन परिषेक:- करैरा

वनखण्ड की भूमि का विवरण						वनखण्ड की सीमायें
क्र0 संख्या	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान भद्र	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1 .	ऊमरी धीरान पेच -1	ऊमरी धीरान	म.प्र. शासन वन विभाग	4	0.820	उत्तर - सड़क की सीमा रेखा खसरा 11 एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 13 से 18 तक।
				7	1.000	पूर्व- खसरा संख्या 25, 75 एवं 82 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक एवं 65 से 88 तक।
				8	0.920	
				9	1.280	
				10/1	1.600	
				12	1.100	
				13	0.340	दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड खोड़ के कक्ष क्रमांक 1079 की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 151, 152 एवं 155 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 47 से 65 तक।
				14	0.220	
				15	0.210	
				16	0.260	
				17	0.500	
				26	0.610	
				27	0.360	
				28	0.440	
				29	0.810	
				32	0.970	
				33	0.670	
				34	1.170	
				35	0.400	
				36	0.430	
				37/1	1.213	
				38/1	1.147	
				64/1	0.283	
				65	0.700	
				66	0.970	
				67	0.920	
				68	0.220	
				69	0.760	
				70	0.700	
				77	0.470	
				78/1	1.539	
				81	0.740	
				83	0.840	
				84/1	0.167	
				85/1	0.140	
				86/1	0.247	
				87	0.070	
				88	0.120	
				89	0.140	
				90	0.120	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण		
			भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
				91	0.150
				92/1	0.130
				93/1	0.200
				94/1	0.060
				95	0.150
				96	0.660
				97	0.410
				98	0.830
				99	1.430
				100	0.350
				101	0.330
				102	0.730
				105	0.880
				106	0.280
				107	0.210
				108	0.790
				109	0.690
				110	0.390
				111	0.570
				112	0.320
				113	0.330
				122	1.850
				124	0.860
				125	0.410
				126	0.650
				127	0.780
				128	0.170
				129	0.130
				130	0.370
				132	0.230
				133	0.150
				134	0.100
				135	0.380
				136	0.270
				137	0.450
				138	0.350
				139	0.170
				140	0.200
				141	0.170
				143	0.300
				146	0.140
				147	0.190
				150	0.050
				157	0.190
				158	0.190

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएँ
				161	0.190	
				162	0.580	
				163	0.350	
				164	0.330	
				165	0.730	
				166	0.620	
				167	0.550	
				168	0.400	
				169	0.480	
				170	0.090	
				171	0.190	
			योग	96	48.766	
2	नेगुवां पेच -2	नेगुवां	म.प्र: शासन वन विभाग	322	2.000	उत्तर — खसरा संख्या 321, 323 एवं 352 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 28 तक।
				326/1	0.223	पूर्व — संरक्षित वनखण्ड खोड़ के कक्ष क्रमांक 1078 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 3 एवं 89 से 97 तक।
				327	1.960	
				329/1	0.073	
				339	0.710	
				340/1	0.153	
				341/1	0.689	
				344/1	0.935	
				345/1	0.617	
				346	0.710	
				347	0.650	
				348	0.450	
				349	0.720	
				350	0.330	दक्षिण — खसरा संख्या 338, 345/2, 365 एवं 366 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 42 से 89 तक।
				353/1	0.302	
				355/1	0.471	
				358/1	0.382	
				359/1	0.439	
				360/1	0.222	
				361/1	0.414	
				362/1	0.212	
				363/1	0.212	
				364/1	0.172	
				367/1	0.326	
				368/1	0.366	
				369	0.660	
				371/1	0.546	
				372	0.370	
				374	0.510	
				375	0.470	
				376	0.230	
				377	0.250	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएँ
				378	0.360	
				379	0.250	
				380	0.420	
				381	0.440	
				382	0.430	
				384/1	0.455	
				385	0.220	
			योग	39	19.349	
3	नेगुवां पेच -3	नेगुवां	म.प्र. शासिन वन विभाग	171	1.070	उत्तर-सड़क सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 46 तक।
				173	2.040	पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खोड़ के कक्ष क्रमांक 1078 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 95 से 99 तक।
				174	0.580	दक्षिण-सड़कसीमा रेखा खसरा संख्या 300, 172 एवं 190 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 74 से 95 तक। कृत्रिम वनसीमा रेखा।
				175/1	0.260	
				175/2	0.800	
				175/3	0.260	
				180/1	0.160	
				181	1.210	
				182/1	0.093	
				184	0.500	
				185	1.250	
				186/1	0.428	
				187/1	0.317	
				188/1	0.510	
				189/1	0.283	
				191	0.250	
				192	0.490	
				193	0.700	
				194/1	0.505	
				194/2	0.505	
				195	0.890	
				197	0.670	
				198	0.880	
				199	1.890	
				200	0.440	
				201	0.880	
				202	0.520	
				203	2.010	
				204	0.710	
				205	1.240	
				206	0.710	
				207	0.540	
				208	0.670	
				209	0.750	
				210	0.430	
				211	0.570	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	लेट्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएँ
				212	1.080	
				213	0.590	
				214/1	0.684	
				215/1	0.500	
				216	0.280	
				247/1	0.500	
				247/2	0.990	
				248	0.920	
				249	0.800	
				250	0.790	
				251	0.440	
				252	0.430	
				253	0.570	
				254	0.260	
				255	0.560	
				256	1.230	
				257	0.830	
				258	1.030	
				259	0.760	
				260 /1	0.866	
				261	0.300	
				262	0.450	
				263	0.950	
				264	1.910	
				265	0.290	
				266	0.840	
				267	0.940	
				268	0.490	
				269	0.620	
				270	1.570	
				271	1.230	
				272	0.660	
				273	0.210	
				274	1.010	
				275	0.830	
				276	0.340	
				277/1	0.160	
				278	0.650	
				280	1.760	
				281	0.150	
				282	0.290	
				283	0.960	
				284	0.750	
				285/1	0.560	
				286	0.800	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
4 नेगुवां पेच -04	वपावली	म.प्र. शासन वन विभाग		287	0.510	उत्तर - खसरा संख्या 703 एवं 720 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 20 तक।
				288	0.200	
				289	1.460	
				290	0.920	
				291	1.340	
				292	0.580	
				293	2.220	
				294	1.120	
				295/1	0.823	
				296/1	0.830	
				298	0.580	
				687	2.860	पूर्व - खसरा संख्या 730, 731 एवं 238 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 5 एवं 36 से 59 तक।
				688	0.700	
				689/1	0.249	
				690	0.800	
				692	0.400	
				695	0.590	
				696	0.690	
				697	0.690	
				योग	100	
					76.403	
				218/1	0.240	दक्षिण-सड़क की सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 24 से 36 तक।
				219	0.760	
				220	0.600	
				221	0.250	
				222	0.430	
				223/1	0.765	
				224/1	0.315	
				225	0.570	
				226	0.900	
				228/1	0.138	
				229/1	0.103	
				230/1	0.140	
				231	0.790	
				232	0.710	
				233	0.260	
				234	0.550	
				235	1.460	
				699	0.820	पश्चिम-खसरा संख्या 698 एवं 702 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 20 से 24 तक।
				700	0.650	
				701	2.670	
				721	0.900	
				722	1.080	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण			
			भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएँ
5	बपावली पेच -05	बपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	724	1.850	उत्तर - सड़क की सीमा रेखा खसरा 653 एवं 654 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक। पूर्व - खसरा संख्या 693 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 33 से 36 एवं 36 से 1 तक। दक्षिण - खसरा संख्या 661 एवं 666 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 27 से 33 तक। पश्चिम - खसरा संख्या 530, 659 एवं 544 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 14 से 27 तक।
				725	1.730	
				726	1.200	
				727	0.570	
				728	0.730	
				729	1.120	
				योग	28	22.301
				655	1.960	
6	बपावली पेच-6	बपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	656	0.240	उत्तर - खसरा 636 एवं 640 सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक। पूर्व - खसरा संख्या 642 एवं 645 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 14 से 18 तक। दक्षिण - खसरा संख्या 653 एवं 654 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 6 से 14 तक। पश्चिम - खसरा संख्या 549 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक।
				658	0.890	
				660	1.460	
				662	2.300	
				664	1.830	
				664/1	0.910	
				योग	7	9.590
				641/1	1.980	
				641/2	1.270	
				643	1.460	
				644	0.750	
				योग	4	5.460

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमायें
7	वपावली पेच -7	वपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	572	0.890	उत्तर-खसरा संख्या 587, 592 एवं 594 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक।
				574	0.150	पूर्व-प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 11 एवं 90 से 105 तक।
				575/1	0.338	दक्षिण-खसरा संख्या 638 एवं 636 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 56 से 90 तक।
				576/1	0.330	पश्चिम-खसरा संख्या 12 एवं 584 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 20 से 56 तक।
				577/1	1.470	
				578	0.730	
				579/1	0.212	
				580/1	0.195	
				581/1	0.228	
				582/1	0.068	
				583	1.030	
				586	0.780	
				590	0.540	
				591	1.250	
				595	0.720	
				596	0.820	
				607/1	0.368	
				608/1	0.630	
				609/1	0.475	
				610	1.000	
				611	0.230	
				612	0.330	
				613	0.470	
				614	0.650	
				615/1	2.241	
				616	0.880	
				619	0.070	
				620/1	0.146	
				621	0.840	
				622	0.160	
				623	0.140	
				624	0.200	
				625	0.530	
				628	0.550	
				629	0.620	
				630/1	0.300	
				630/2	0.110	
				632	0.044	
				633	2.090	
				634	0.470	
				635	0.100	
				637	0.620	
		योग		42	24.015	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण					
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमायें	
8	वपावली पेच -8	वपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	508	0.580	उत्तर-खसरा संख्या 523 एवं 566 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 2 से 13 तक।	
				509	1.020	पूर्व-खसरा संख्या 685 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 2 एवं 31 से 39 तक।	
				510/1	0.542	दक्षिण-खसरा संख्या 507 एवं 568 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक।	
				522	1.750	पश्चिम-खसरा संख्या 511 एवं 520 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 13 से 28 तक कृत्रिम वन सीमा रेखा।	
				667	2.490		
				669	0.330		
				671	0.370		
				योग	7	7.082	
9	बपावली पेच -9	बपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	284	0.100	उत्तर-सङ्केत की सीमा रेखा खसरा 109 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 21 से 31 तक।	
				296	0.350	पूर्व-खसरा संख्या 285,	
				297	0.090	296, 428, 441, 466, 473,	
				299	0.160	510, 525 एवं 506 की सीमा	
				300	0.120	रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम	
				301	0.080	वन सीमा मुनारा क्रमांक 1	
				302	0.100	से 21 एवं 121 से 189	
				303	0.150	तक।	
				307	0.190	दक्षिण-नेगुवां खसरा संख्या	
				308	0.030	1 एवं 23 तथा वपावली	
				309	0.020	खसरा संख्या 378, 384/2	
				310	0.460	387 एवं 491 की सीमा रेखा	
				311	0.170	तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन	
				312	0.160	सीमा मुनारा क्रमांक 70 से	
				313	0.170	121 तक।	
				314	0.230	पश्चिम-खसरा संख्या 355,	
				315	0.070	358, 360, 348 एवं 339 की	
				316	0.100	सीमा रेखा एवं प्रस्तावित	
				317	0.100	कृत्रिम वन सीमा मुनारा	
				318	0.100	क्रमांक 31 से 70 तक।	
				319	0.120		
				320	0.200		
				321	0.140		
				322	0.130		
				323	0.120		

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण			
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
				325	1.030
				326	0.960
				327	0.610
				328/1	0.293
				330	0.100
				332	0.150
				333	0.190
				334	0.200
				335	0.230
				336	0.310
				337	0.200
				349	1.570
				357/1	2.710
				361	0.280
				362	0.290
				365	1.390
				366	0.630
				367	0.670
				369	0.660
				370	0.090
				371	0.100
				372	0.730
				373	0.830
				374	0.730
				375	1.460
				376	1.230
				377	0.380
				381/1	0.965
				391/1	2.136
				392/1	1.160
				394/1	0.190
				396	0.760
				398	0.940
				399	0.760
				400	0.440
				401	0.380
				402	0.360
				403	0.420
				406	0.890
				409	0.730
				410	0.100
				411	0.170
				416	0.420
				417	0.380
				418	0.400

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण			
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मट	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
				419	0.970
				420	0.370
				421	0.530
				422	0.100
				423	0.430
				424	0.090
				425	0.620
				426	0.300
				438	0.560
				442/1	0.031
				444/1	0.084
				448	0.970
				449/1	0.290
				451/1	0.130
				452/1	0.060
				455/1	0.067
				464	0.350
				465	0.120
				467	0.200
				468	0.050
				469	0.380
				471/1	0.510
				472/1	0.400
				474	2.190
				476	1.100
				478	0.470
				479	0.720
				480/1	0.210
				481	0.840
				482	2.530
				484 /1	0.260
				485/1	0.260
				486 /1	0.520
				488/1	0.390
				489/1	0.400
				489/2/1	0.040
				490/1	0.540
				493/1	0.300
				493/2	0.310
				494/1	0.560
				495/1	0.420
				497	0.510
				498	0.180
				499	0.240
				500	0.510

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमायें
10	बपावली पेच-10	बपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	501	1.800	
				502	1.930	
				503/1	0.470	
				503/2	0.480	
				512	0.560	
				513	0.370	
				514	0.290	
				515	0.010	
				516	1.060	
				517	0.510	
				518	0.620	
				519	0.790	
				520	0.820	
				526	1.070	
				योग	129	65.276
				93/1	1.393	उत्तर-खसरा संख्या 89, 74 एवं 75 तथा प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 20 से 44 तक कृत्रिम वन सीमा
				95	0.170	
				97	0.010	
				99	0.790	
				110	0.010	पूर्व-खसरा संख्या 212, 184, 178, 167 एवं 165 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 20 एवं 101 से 103 तक।
				111	0.090	
				112	1.400	
				114	0.050	
				121	1.250	
				124	0.250	
				130	0.150	
				131	0.050	दक्षिण-खसरा संख्या 109 एवं 149 की सीमा रेखा तथा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 87 से 101 तक।
				132	0.450	
				133	0.120	
				134	0.110	
				135	0.150	
				136	0.760	
				137	0.260	
				138	0.500	
				140	0.560	
				148	0.550	
				154	0.250	
				156/1	0.360	
				157	0.210	
				159	0.160	
				163/1	0.840	
				179	0.070	
				180	0.050	
				181	0.510	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमायें
				182	0.700	
				186	0.030	
				187	0.110	
				188	0.100	
				190	0.050	
				193	0.020	
				194	0.310	
				197/1	0.010	
			योग	37	12.853	
11	दपावली पंच-11	दपावली	म.प्र. शासन वन विभाग	22	0.110	उत्तर-खसरा संख्या 81, 6, 21 एवं 23 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 14 से 36 तक।
				32	0.270	पूर्व-खसरा संख्या 30, 41, 50 एवं 208 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 14 एवं 77 से 80 तक।
				35	0.050	
				36/1	0.030	
				37/1	0.090	
				45	0.050	
				46	0.040	
				47	0.140	
				48	0.070	
				49	0.110	
				51	0.210	
				52	1.160	
				53	0.010	
				54	0.770	
				56	0.190	
				57	0.170	
				59	0.130	
				60	0.120	
				61	0.320	
				62	0.740	
				63	0.340	
				64/1	0.240	
				66	0.080	
				67	0.040	
				68	0.260	
				69	0.260	
				70	0.230	
				71	0.180	
				72	0.150	
				73/1	0.265	
				76	0.470	
				77	0.800	
				78	0.720	
				79	0.660	
				82	0.190	

क्र० संख्या	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण			
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
				86	0.300
				87/1	0.007
				88	0.800
				734/199	0.070
				189/1	0.240
				195/1	0.020
				198	0.060
				199	0.050
				200	0.040
				201	0.300
				202	0.330
				203	0.160
				204	0.050
				205	0.100
				206	0.090
				736/52/1	0.065
				737/37/1	0.040
		योग		52	12.387
		कुल योग (1 से 11)		541	303.482

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-18/2021-FC दिनांक 24.08.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा जिला नीमच में एमपी-30 गांधी सागर ऑफ-स्ट्रीम पायड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) निर्माण में प्रमाणित होने वाली 301.96 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में कुल 303.482 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. के आदेश क्रमांक 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण :- निम्न

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्रमांक/तह./2022/02 दिनांक 05.01.2023 अभिलेखित अधिकारों का खसरवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. 318-आर-1083750-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 318-आर-1083750-2023-दस-3, दिनांक 8 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 8th February 2023

No/ 318 /R-1083750/2023/10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the area, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be notified by the State Government from time to time.

- Forest Block Umari Vrain-1 falling between N 25°13'28.5" to N 25°14'2.7" North Latitude and E 77°56'48.5" to E 77°57'22.5" East Longitude.
- Forest Block Neguwan Patch-2 falling between N 25°14'2.8" to N 25°14'21.9" North Latitude and E 77°56'58.3" to E 77°57'28.5" East Longitude.
- Forest Block Neguwan Patch-3 falling between N 25°14'27.3" to N 25°15'1.5" North Latitude and E 77°56'44.7" to E 77°57'35.6" East Longitude.
- Forest Block Neguwan Patch-4 falling between N 25°14'50.3" to N 25°15'11.8" North Latitude and E 77°57'0" to E 77°57'34.8" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-5 falling between N 25°15'1.7" to N 25°15'17.7" North Latitude and E 77°56'31.4" to E 77°56'50.2" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-6 falling between N 25°15'9.4" to N 25°15'21.6" and E 77°56'32.5" to E 77°56'48.7" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-7 falling between N 25°15'24.9" to N 25°15'48.3" North Latitude and E 77°56'24" to E 77°56'47.6" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-8 falling between N 25°14'49.3" to N 25°14'59.7" North Latitude and E 77°56'27.8" to E 77°56'42.5" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-9 falling between N 25°14'39.1" to N 25°15'20.6" North Latitude and E 77°55'41.3" to E 77°56'30.2" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-10 falling between N 25°15'16.2" to N 25°15'30.3" and E 77°55'47.9" to E 77°56'12.2" East Longitude.
- Forest Block Bapawali Patch-11 falling between N 25°15'29.6" to N 25°15'42.7" North Latitude and E 77°55'50.5" to E 77°56'12.1" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
 Forest Division: - Shivpuri Forest Division (T)

Tehsil :- Pichhore
 Forest Range: - Karera

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
1	Umri Viran Patch 01	Umri Viran	Forest Department Govt. M.P	4	0.820	North: Village Road plot no 11 & Artificial pillar no 13 to 18
				7	1.000	
				8	0.920	
				9	1.280	
				10/1	1.600	
				12	1.100	East: Boundary line of plot no 25, 75 & 82 & Artificial pillar no 1 to 13 & 65 to 88
				13	0.340	
				14	0.220	
				15	0.210	
				16	0.260	
				17	0.500	
				26	0.610	
				27	0.360	
				28	0.440	
				29	0.810	
				32	0.970	
				33	0.670	
				34	1.170	
				35	0.400	
				36	0.430	
				37/1	1.213	
				38/1	1.147	
				64/1	0.283	
				65	0.700	
				66	0.970	
				67	0.920	
				68	0.220	
				69	0.760	
				70	0.700	
				77	0.470	
				78/1	1.539	
				81	0.740	
				83	0.840	
				84/1	0.167	
				85/1	0.140	
				86/1	0.247	
				87	0.070	
				88	0.120	
				89	0.140	
				90	0.120	
				91	0.150	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included			
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)
				92/1	0.130
				93/1	0.200
				94/1	0.060
				95	0.150
				96	0.660
				97	0.410
				98	0.830
				99	1.430
				100	0.350
				101	0.330
				102	0.730
				105	0.880
				106	0.280
				107	0.210
				108	0.790
				109	0.690
				110	0.390
				111	0.570
				112	0.320
				113	0.330
				122	1.850
				124	0.860
				125	0.410
				126	0.650
				127	0.780
				128	0.170
				129	0.130
				130	0.370
				132	0.230
				133	0.150
				134	0.100
				135	0.380
				136	0.270
				137	0.450
				138	0.350
				139	0.170
				140	0.200
				141	0.170
				143	0.300
				146	0.140
				147	0.190
				150	0.050
				157	0.190
				158	0.190
				161	0.190

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	
				162	0.580	
				163	0.350	
				164	0.330	
				165	0.730	
				166	0.620	
				167	0.550	
				168	0.400	
				169	0.480	
				170	0.090	
				171	0.190	
				Total	48.766	
2	Neguwan Patch -2	Neguwan	Forest Department Govt. M.P.	322	2.000	North: Boundary line of plot 321, 323 & 352 & Artificial pillar no 3 to 28
				326/1	0.223	
				327	1.960	
				329/1	0.073	
				339	0.710	East: Boundary line of compartment no 1078 of Protected Forest Block Khod & Artificial pillar no 1 to 3 & 89 to 97
				340/1	0.153	
				341/1	0.689	
				344/1	0.935	
				345/1	0.617	
				346	0.710	
				347	0.650	
				348	0.450	
				349	0.720	South: Boundary line of plot no 338, 345/2, 365 & 366 & Artificial pillar no 42 to 89
				350	0.330	
				353/1	0.302	
				355/1	0.471	
				358/1	0.382	
				359/1	0.439	
				360/1	0.222	West: Boundary line of plot no 325 & 330 & Artificial pillar no 28 to 42
				361/1	0.414	
				362/1	0.212	
				363/1	0.212	
				364/1	0.172	
				367/1	0.326	
				368/1	0.366	
				369	0.660	
				371/1	0.546	
				372	0.370	
				374	0.510	
				375	0.470	
				376	0.230	
				377	0.250	
				378	0.360	
				379	0.250	

S. No.	Name of Forest Block	Village	Head of Land	Details of Land Included		
				Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				380	0.420	
				381	0.440	
				382	0.430	
				384/1	0.455	
				385	0.220	
				Total	39	19.349
3.	Neguwan Patch-3	Neguwan	Forest Department Govt. M.P	171	1.070	North: Boundary line of village road plot 245 & Artificial pillar no 3 to 46
				173	2.040	
				174	0.580	
				175/1	0.260	
				175/2	0.800	
				175/3	0.260	
				180/1	0.160	
				181	1.210	
				182/1	0.093	
				184	0.500	
				185	1.250	
				186/1	0.428	
				187/1	0.317	
				188/1	0.510	
				189/1	0.283	
				191	0.250	
				192	0.490	
				193	0.700	
				194/1	0.505	
				194/2	0.505	
				195	0.890	
				197	0.670	
				198	0.880	
				199	1.890	
				200	0.440	
				201	0.880	
				202	0.520	
				203	2.010	
				204	0.710	
				205	1.240	
				206	0.710	
				207	0.540	
				208	0.670	
				209	0.750	
				210	0.430	
				211	0.570	
				212	1.080	
				213	0.590	
				214/1	0.684	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included			
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)
				215/1	0.500
				216	0.280
				247/1	0.500
				247/2	0.990
				248	0.920
				249	0.800
				250	0.790
				251	0.440
				252	0.430
				253	0.570
				254	0.260
				255	0.560
				256	1.230
				257	0.830
				258	1.030
				259	0.760
				260/1	0.866
				261	0.300
				262	0.450
				263	0.950
				264	1.910
				265	0.290
				266	0.840
				267	0.940
				268	0.490
				269	0.620
				270	1.570
				271	1.230
				272	0.660
				273	0.210
				274	1.010
				275	0.830
				276	0.340
				277/1	0.160
				278	0.650
				280	1.760
				281	0.150
				282	0.290
				283	0.960
				284	0.750
				285/1	0.560
				286	0.800
				287	0.510
				288	0.200
				289	1.460

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				290	0.920	
				291	1.340	
				292	0.580	
				293	2.220	
				294	1.120	
				295/1	0.823	
				296/1	0.830	
				298	0.580	
				687	2.860	
			Bapawali	688	0.700	
				689/1	0.249	
				690	0.800	
				692	0.400	
				695	0.590	
				696	0.690	
				697	0.690	
				Total	100	76.403
4	Neguwan Patch-4	Neguwan	Forest Department Govt. M.P	218/1	0.240	North: Boundary line of plot no 703 & 720 & Artificial pillar no 5 to 20
				219	0.760	East: Boundary line of plot no 730, 731 & 238 & Artificial pillar no 1 to 5 & 36 to 59
				220	0.600	South: Boundary line of village road plot no 246 & Artificial pillar no 24 to 36
				221	0.250	West: Boundary line of plot no 698 & 702 & Artificial pillar no 20 to 24
				222	0.430	
				223/1	0.765	
				224/1	0.315	
				225	0.570	
				226	0.900	
				228/1	0.138	
				229/1	0.103	
				230/1	0.140	
				231	0.790	
				232	0.710	
				233	0.260	
				234	0.550	
				235	1.460	
				699	0.820	
				700	0.650	
				701	2.670	
				721	0.900	
				722	1.080	
				724	1.850	
				725	1.730	
				726	1.200	
				727	0.570	
				728	0.730	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				729	1.120	
				Total	28	22.301
5	Bapawali Patch 05	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	655	1.960	North: Boundary line of village road plot no 653 & 654 & Artificial pillar no 1 to 14 East: Boundary line of plot no 693 & Artificial pillar no 33 to 36 & 36 to 1 South: Boundary line of plot no 661 & 666 & Artificial pillar no 27 to 33 West: Boundary line of plot no 530, 659 & 544 & Artificial pillar no 14 to 27
				656	0.240	
				658	0.890	
				660	1.460	
				662	2.300	
				664	1.830	
				664/1	0.910	
				Total	7	9.590
				641/1	1.980	North: Boundary line of plot no 636 & 640 & Artificial pillar no 3 to 5 East: Boundary line of plot no 642 & 645 & Artificial pillar no 1 to 3 & 14 to 18 South: Boundary line of village road plot no 653 & 654 & Artificial pillar no 6 to 14 West: Boundary line of plot no 549 & Artificial pillar no 5 to 6
				641/2	1.270	
				643	1.460	
				644	0.750	
				Total	4	5.460
6	Bapawali Patch-6	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	572	0.890	North: Boundary line of plot 587, 592 & 594 & Artificial pillar no 11 to 20 East: Boundary line of Artificial pillar no
				574	0.150	
				575/1	0.338	
				576/1	0.330	
				577/1	1.470	
				578	0.730	
7	Bapawali Patch-7	Bapawali	Forest Department Govt. M.P			

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				579/1	0.212	1 to 11 & 90 to 105
				580/1	0.195	
				581/1	0.228	South: Boundary line of plot no 638, 636 & Artificial pillar no 56 to 90
				582/1	0.068	
				583	1.030	
				586	0.780	
				590	0.540	
				591	1.250	West: Boundary line of plot no 12 & 584 & Artificial pillar no 20 to 56
				595	0.720	
				596	0.820	
				607/1	0.368	
				608/1	0.630	
				609/1	0.475	
				610	1.000	
				611	0.230	
				612	0.330	
				613	0.470	
				614	0.650	
				615/1	2.241	
				616	0.880	
				619	0.070	
				620/1	0.146	
				621	0.840	
				622	0.160	
				623	0.140	
				624	0.200	
				625	0.530	
				628	0.550	
				629	0.620	
				630/1	0.300	
				630/2	0.110	
				632	0.044	
				633	2.090	
				634	0.470	
				635	0.100	
				637	0.620	
				Total	42	24.015
8	Bapawali Patch- 8	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	508	0.580	North: Boundary line of plot no 523 & 666 & Artificial pillar no 2 to 13
				509	1.020	East: Boundary line of plot no 685 & Artificial pillar no 1 to 2 & 31 to 39
				510/1	0.542	South: Boundary
				522	1.750	
				667	2.490	
				669	0.330	
				671	0.370	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
						line of plot no 507, 668 & Artificial pillar no 28 to 31 West: Boundary line of plot no 511 & 520 & Artificial pillar no 13 to 28
				Total	7	7.082
9	Bapawali Patch -9	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	284	0.100	North: Boundary line of village road plot 109 & Artificial pillar no 21 to 31
				296	0.350	East: Boundary line of plot no 285, 296, 428, 441, 466, 473, 510, 525 & 506 & Artificial pillar no 1 to 21 & 121 to 189
				297	0.090	South: Boundary line of Neguwan village plot no 1 & 23 & Bapawali 378, 484/2, 387 & 491 & Artificial pillar no 70 to 121
				299	0.160	
				300	0.120	
				301	0.080	
				302	0.100	
				303	0.150	
				307	0.190	
				308	0.030	
				309	0.020	
				310	0.460	
				311	0.170	
				312	0.160	
				313	0.170	
				314	0.230	
				315	0.070	
				316	0.100	
				317	0.100	
				318	0.100	
				319	0.120	
				320	0.200	
				321	0.140	
				322	0.130	
				323	0.120	
				325	1.030	
				326	0.960	
				327	0.610	
				328/1	0.293	
				330	0.100	
				332	0.150	
				333	0.190	
				334	0.200	
				335	0.230	
				336	0.310	
				337	0.200	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				349	1.570	
				357/1	2.710	
				361	0.280	
				362	0.290	
				365	1.390	
				366	0.630	
				367	0.670	
				369	0.660	
				370	0.090	
				371	0.100	
				372	0.730	
				373	0.830	
				374	0.730	
				375	1.460	
				376	1.230	
				377	0.380	
				381/1	0.965	
				391/1	2.135	
				392/1	1.160	
				394/1	0.190	
				396	0.760	
				398	0.940	
				399	0.760	
				400	0.440	
				401	0.380	
				402	0.360	
				403	0.420	
				406	0.890	
				409	0.730	
				410	0.100	
				411	0.170	
				416	0.420	
				417	0.380	
				418	0.400	
				419	0.970	
				420	0.370	
				421	0.530	
				422	0.100	
				423	0.430	
				424	0.090	
				425	0.620	
				426	0.300	
				438	0.660	
				442/1	0.031	
				444/1	0.084	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included			
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)
				448	0.970
				449/1	0.290
				451/1	0.130
				452/1	0.060
				455/1	0.067
				464	0.350
				465	0.120
				467	0.200
				468	0.050
				469	0.380
				471/1	0.510
				472/1	0.400
				474	2.190
				476	1.100
				478	0.470
				479	0.720
				480/1	0.210
				481	0.840
				482	2.530
				484 /1	0.260
				485/1	0.260
				486 /1	0.520
				488/1	0.390
				489/1	0.400
				489/2/1	0.040
				490/1	0.540
				493/1	0.300
				493/2	0.310
				494/1	0.560
				495/1	0.420
				497	0.510
				498	0.180
				499	0.240
				500	0.510
				501	1.800
				502	1.930
				503/1	0.470
				503/2	0.480
				512	0.560
				513	0.370
				514	0.290
				515	0.010
				516	1.060
				517	0.510
				518	0.620

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	
				519	0.790	
				520	0.820	
				526	1.070	
				Total	129 65.276	
10	Bapawali Patch-10	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	93/1	1.393	North: Boundary line of plot 89, 74 & 75 & Artificial pillar no 20 to 44
				95	0.170	
				97	0.010	
				99	0.790	
				110	0.010	
				111	0.090	
				112	1.400	
				114	0.050	
				121	1.250	
				124	0.250	
				130	0.150	
				131	0.050	
				132	0.450	
				133	0.120	
				134	0.110	
				135	0.150	
				136	0.760	
				137	0.260	
				138	0.500	
				140	0.560	
				148	0.550	
				154	0.250	
				156/1	0.360	
				157	0.210	
				159	0.160	
				163/1	0.840	
				179	0.070	
				180	0.050	
				181	0.510	
				182	0.700	
				186	0.030	South: Boundary line of plot no 109 & 149 & Artificial pillar no 87 to 101
				187	0.110	
				188	0.100	
				190	0.050	
				193	0.020	
				194	0.310	
				197/1	0.010	
				Total	37 12.853	
11	Bapawali Patch 11	Bapawali	Forest Department Govt. M.P	22	0.110	North: Boundary line of plot no 81, 5, 21 & 23 & Artificial
				32	0.270	
				35	0.050	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)	Forest Block Boundary
				36/1	0.030	pillar no 14 to 36
				37/1	0.090	
				45	0.050	East: Boundary line of plot no 30, 41, 50 & 208 & Artificial pillar no 1 to 14 &
				46	0.040	77 to 80
				47	0.140	South: Boundary line of plot no 191, 74 & 75 & Artificial pillar no 51 to 77
				48	0.070	
				49	0.110	
				51	0.210	
				52	1.160	
				53	0.010	
				54	0.770	West: Boundary line of compartment no 1064 of Protected Forest
				56	0.190	Block Sular & plot no 89 & Artificial pillar no 36 to 51
				57	0.170	
				59	0.130	
				60	0.120	
				61	0.320	
				62	0.740	
				63	0.340	
				64/1	0.240	
				66	0.080	
				67	0.040	
				68	0.260	
				69	0.250	
				70	0.230	
				71	0.180	
				72	0.150	
				73/1	0.265	
				76	0.470	
				77	0.800	
				78	0.720	
				79	0.660	
				82	0.190	
				86	0.300	
				87/1	0.007	
				88	0.800	
				734/199	0.070	
				189/1	0.240	
				195/1	0.020	
				198	0.060	

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included			
		Village	Head of Land	Survey No.	Area (Ha)
				199	0.050
				200	0.040
				201	0.300
				202	0.330
				203	0.160
				204	0.050
				205	0.100
				206	0.090
				736/52/1	0.065
				737/37/1	0.040
			Total	52	12.387
		G Total (1 to 11)		541	303.482

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment of Forest Govt. of India's letter no File No. No 8-18/2021-FC dated 24-08-2021 and in lieu of 301.96 ha of effected Forest land under the sanctioned project of MP 30 Gandhi Sagar off stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private limited, Hyderabad the above mentioned Non forest land of 303.482 Ha mentioned in schedule transferred or mutated in favour of M.P. Forest Department by order no 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23/A-6 dated 04.01.2023 of Tehsildar Pichore, District Shivpuri for the purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons-Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report letter no Teh./2022/02Pichore, dated 05.01.2023 of Tehsildar, Pichore District Shivpuri are as above:-

1. Individual's Rights: - There are no Individual's Rights on the land mentioned in schedule
2. Community's Rights: - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule
Therefore, the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक—आर—1011422/2457/2022/10—3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $25^{\circ}25'40.18''$ से $25^{\circ}26'43.89''$ उत्तर अक्षांश तथा $77^{\circ}29'18.85''$ से $77^{\circ}30'19.41''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— शिवपुरी
वनमण्डल — शिवपुरी

तहसील — शिवपुरी
वन परिक्षेत्र — शिवपुरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	टोका	टोका	राजस्व भूमि	1699/1/2	126.50	उत्तर— प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक ग्राम टोका की सीमा। पूर्व — प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 19 से 30 तक ग्राम टोका की सीमा। दक्षिण— प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक ग्राम टोका की सीमा। पश्चिम— प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा।
					योग	126.50

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31/2021/FC दिनांक 02.06.2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के

उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक /12/2019–20/अ–20(3) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :— निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

आर—1011422/२५८/2022/10—3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर—1011422/२५८/2022/10—3 दिनांक २२/१२/२०२२ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

No.-R-1011422/२५८/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24°30'57.3" to 24°31'7.43" North Latitude and 82°16'16.86" to 82°16'22.49" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sivpuri
Forest Division - Sivpuri

Tahsil - Sivpuri
Forest Range - Sivpuri

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boudaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Tonka	Tonka	Revenue Land	1699/1/2	126.50	North - East - South - West -	Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka. Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka. Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka. Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.
					Total 126.50		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-8/31/2021-FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126.42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project) of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/Agency/Perspn), the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019-20/A-20(3) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.01.2022 of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक—आर—922705/2022/10—३ :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^{\circ}0'16.03''$ से $22^{\circ}0'38.73''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}0'12.83''$ से $75^{\circ}0'45.33''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

वनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — बड़वानी

वन परिक्षेत्र — बड़वानी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	लोनसरा बुजूर्ग	राजस्व ग्राम लोनसरा बुजूर्ग पटवारी हल्का नम्बर-21	शासकीय बैडी	105/7	20.500	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 46 से 53 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। योग 20.500

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB066/2021-BHO दिनांक 11 मई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिले में जल संसाधन विभाग की गुलरपानी तालाब योजना में प्रभावित 20.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/4428/रीडर/भूमि आवंटन/2019 बड़वानी प्र.क्र. 08 अ-74/2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

आर-922705/2022/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705/2022/10-3 दिनांक 26/1.5/22 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 13rd January 2023

No.R/ 12.1 /922705/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $22^{\circ}0'16.03''$ to $22^{\circ}0'38.73''$ North Latitude and $75^{\circ}0'12.83''$ to $75^{\circ}0'45.33''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Barwani
Forest Range -Barwani

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Lonsara Buzurg	Revenue Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)	Governemnt Badi	105/7	20.500	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 23 of Protected Forest Block.	East - Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Forest Block.
						South - Artificial Forest boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Forest Block.	West - Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected Forest Block.
				Total	20.500		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt. of India's order No. F.No.6-MPB066/2021-BHO Dated 11 May 2022 and in lieu of 20.500 hectare of affected forest land in Gularpani Tank Project of Water Resources Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 20.500 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 4428/Rider/Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08/A-74/2018/19) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक—आर—922705/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^{\circ}0'30.41''$ से $22^{\circ}0'57.43''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}0'32.91''$ से $75^{\circ}0'50.06''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

वनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — बड़वानी
वन परिक्षेत्र — बड़वानी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	लोनसरा बुजूर्ग	राजस्व ग्राम लोनसरा बुजूर्ग पटवारी हल्का नम्बर—21	शासकीय बैडी	101/15 103/1	19.237 8.843	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 41 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	28.080	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB069/2021-BHO दिनांक 07 जुलाई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिला में जल संसाधन विभाग की सुसरी तालाब योजना में प्रभावित 28.080 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.080 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /4428/रीडर/भूमि आवंटन/2019 बड़वानी प्र.क्र.08 अ-74/2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

आर-922705/2022/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705/2022/10-3 दिनांक 26/1/22 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 13rd January 2023

No.R/ 12.1 /922705/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°0'30.41" to 22°0'57.43" North Latitude and 75°0'32.91" to 75°0'50.06" East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Barwani
Forest Range -Barwani

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	North -	Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 23 of Protected Forest Block.
1	Lonsara Buzurg	Revenue Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)	Governemnt Badi	105/7	20.500	East -	Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Forest Block.
						South -	Artificial Forest boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Forest Block.
						West -	Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected Forest Block.
				Total	20.500		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt. of India's order No. F.No.6-MPB066/2021-BHO Dated 11th May 2022 and in lieu of 28.080 hectare of affected forest land in Susuri Tank Project of Water Resource Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 28.080 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 4428/Rider/Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08/A-74/2018/19) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under.

1. Individual Rights :- No Individual Rights Exist
2. Community Rights :- No Community Rights Exist

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्रमांक—आर—987692/३२२/2022/10—3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $24^{\circ}16'5.19''$ से $24^{\circ}16'37.36''$ उत्तर अक्षांश तथा $79^{\circ}07'37.07''$ से $79^{\circ}07'53.56''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— सागर

वनमण्डल — उत्तर सागर (सा०)

तहसील — शाहगढ़

वन परिक्षेत्र — शाहगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	मदनतला	मदनतला	शासकीय भूमि	187/1	24.29	उत्तर— प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक पूर्व— प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 07 से 20 तक दक्षिण— प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 20 से 30 तक पश्चिम— प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 30 से 01 तक
				योग	24.29	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPC050/2021-BHO दिनांक 30 जुलाई 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग के जमदर्दा जलाशय योजना निर्माण में प्रभावित रकबा 24.29 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 24.29 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक /21अ/ 19(3) वर्ष 2017–18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 21अ/ 19(3) वर्ष 2017–18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :— निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

आर—987692/322/2022/10—3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर—987692/322/2022/10—3 दिनांक 09/02/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th February 2023

No.-R-987692/322/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $24^{\circ}16'5.19''$ to $24^{\circ}16'37.36''$ North Latitude and $79^{\circ}07'37.07''$ to $79^{\circ}07'53.56''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar
Forest Division - North, Sagar (T.)

Tahsil - Shahgarh
Forest Range - Shahgarh

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Madantala	Madantala	Govt. land	187/1	24.29	North - Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 01 to 07 East - Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 07 to 20 South - Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 20 to 30 West - Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 30 to 01	Total 24.29

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPC0450/2021-BHO dated 30 July 2021 and in lieu of 24.29 hectare of affected forest land under the Jamdarra Reservoir Scheme of Water Resources Department, the above mentioned non forest land of 24.29 hactare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector District Sagar are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the said land is declared as a protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्रमांक/आर/८२५/१९१८०२७/२०२२/१०-३ :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^{\circ}48'9.44''$ से $21^{\circ}48'18.96''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}14'40.37''$ से $75^{\circ}14'59.22''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

वनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — राजपुर
वन परिक्षेत्र — राजपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	घुसगाँव	घुसगाँव पटवारी हल्का नम्बर-५९	शासकीय पहाड़	178/1/1 (S)	11.699	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 19 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	11.699	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8/2014-FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.699 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /2442/रीडर/ भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्र. 09 अ-20(3)/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :— निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

No.R/32/918027/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between $21^{\circ}48'9.44''$ to $21^{\circ}48'18.96''$ North Latitude and $75^{\circ}14'40.37''$ to $75^{\circ}14'59.22''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Rajpur
Forest Range -Rajpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Ghusgaon	Village Ghusgaon (P.H. No. 59)	Government Hill	178/1/ 1 (S)	11.699	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 07 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 11 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 18 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 18 to 19 & 01 of Protected Forest Block.	Total 11.699

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 11.699 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 09/A-20(3)/2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act ,1927.

क्रमांक /आर/३२५ /918027/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $21^{\circ}47'56.54''$ से $21^{\circ}48'14.01''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}14'22.02''$ से $75^{\circ}14'54.64''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

बनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — राजपुर

वन परिक्षेत्र — राजपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	देवनली	देवनली	ना.का.च.	1	28.311	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 52 से 56 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
		पटवारी		(S)		
		हल्का				
		नम्बर-61				
					योग	28.311

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8/2014-FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.311 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /2438/रीडर/भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्र. 0010 अ-20(3)/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :— निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

No.R/३२५/१८०२७/२०२२/१०-३ :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between $21^{\circ}47'56.54''$ to $21^{\circ}48'14.01''$ North Latitude and $75^{\circ}14'22.02''$ to $75^{\circ}14'54.64''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Rajpur
Forest Range -Rajpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Devnali	Village Devnali (P.H. No. 61)	NA.KA.CHA	1 (S)	28.311	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 13 of Protected Forest Block.	East - Artificial Forest boundary from pillar Number 13 to 22 of Protected Forest Block.
						South - Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 52 of Protected Forest Block.	West - Artificial Forest boundary from pillar Number 52 to 56 & 01 of Protected Forest Block.
						Total 28.311	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 28.311 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 10/A-20(3)/2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

क्रमांक /आर/ ३२५/ 918027 /2022/ 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद सन् 1927), द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबच्चों को नीचे की अनुसूची में द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबच्चों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $21^{\circ}47'58.97''$ से $21^{\circ}48'16.39''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}14'9.87''$ से $75^{\circ}14'41.21''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

वनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — राजपुर

वन परिक्षेत्र — राजपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	लहड़गाँव	लहड़गाँव पटवारी हल्का नम्बर-61	ना.का.च.	87/1/1 /1 (S)	16.641	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 42 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

योग 16.641

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8/2014-FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.641 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /2436/रीडर/भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्र. 011 अ-20(3)/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

No.R/324/918027/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 21°47'58.97" to 21°48'16.39" North Latitude and 75°14'9.87" to 75°14'41.21" East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Rajpur
Forest Range -Rajpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boudaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Lahadgaon	Village Ghusgaon (P.H. No. 61)	N.A.KA.CHA	87/1/1 /1 (S)	16.641	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 27 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 27 to 28 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 35 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 35 to 42 & 01 of Protected Forest Block.	Total 16.641

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 16.641 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 2436/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 11/A-20(3)/2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

क्रमांक / आर/३२५ / 918027 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $21^{\circ}54'41.09''$ से $21^{\circ}55'0.93''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}13'26.29''$ से $75^{\circ}13'57.80''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बड़वानी

वनमण्डल — वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

तहसील — राजपुर
वन परिक्षेत्र — राजपुर

आ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1.	बासवी	बासवी पटवारी हल्का नम्बर-43	ना.का.च.	255/9/5 (S)	34.134	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 22 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग	34.134		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8/2014-FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.134 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /2440/रीडर/भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्र. 012 अ-20(3)/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

No.R/उ२५/918027/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between $21^{\circ}47'58.97''$ to $21^{\circ}48'16.39''$ North Latitude and $75^{\circ}14'9.87''$ to $75^{\circ}14'41.21''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)

Tahsil - Rajpur
Forest Range -Rajpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boudaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Wasvi	Village Wasvi (P.H. No. 43)	N.A.KA.CHA	255/9 /5 (S)	34.134	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 05 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 05 to 14 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 14 to 15 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 22 & 01 of Protected Forest Block.	Total 34.134

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 34.134 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 2440/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 12/A-20(3)/2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

क्रमांक. एफ 6-47-2022-सात-3

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2023

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/शा.3, दिनांक 24/09/2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशेष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :-

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
01	25/2	12140
02	26	164100
03	28/1/1ख	72810
04	44/2	6480
05	44/2	6480
06	94	87490
07	94	87490
08	96	9030
09	96	9030
10	96	9030
11	96	9030
12	99	7240
13	96-99,100	167930
14	101	5710
15	105	141660
16	105/1/1	140180
17	105/1/1	140180
18	105/1/1	140180
19	105/1/1	140180 ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

परिशिष्ट-01

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)	कॉलम नंबर 03 के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में) (4)	यर्तुसीमा (5)
01	25/2	12140	115.70	उत्तर - त्रिपाठी दक्षिण - रास्ता पूर्व - रास्ता पश्चिम - ए.के.सूद
02	26	164100	162.63	उत्तर - रिक्त दक्षिण - ईश्वर प्रेम मंदिर पूर्व - श्री लक्ष्मणदास राजानी का मकान पश्चिम - रास्ता
03	28/1/1ख	72810	371.74	उत्तर - करतार सिंह दक्षिण - जानी बक्सी पूर्व - आकाश अपार्टमेंट पश्चिम - रास्ता
04	44/2	6480	223.04	उत्तर - अंसारी का मकान दक्षिण - असलम का मकान पूर्व - रास्ता पश्चिम - रास्ता
05	44/2	6480	232.25	उत्तर - एम.एस.कुरेशी का मकान दक्षिण - मोहम्मद अच्यूत पूर्व - रास्ता पश्चिम - नाला
06	94	87490	371.61	उत्तर - मकसूद का मकान दक्षिण - सबिस्ता अपार्टमेंट पूर्व - रास्ता पश्चिम - गुलमोहर अपार्टमेंट
07	94	87490	769.4	उत्तर - डॉक्टर आवास दक्षिण - सलेहा इंदरिश पूर्व - रिक्त भूमि पश्चिम - रास्ता
08	96	9030	88.29	उत्तर - आई.एस.तोमर दक्षिण - रास्ता पूर्व - संजय खेमानी पश्चिम - अफ़ज़ल हुसैन

09	96	9030	845.2	उत्तर - रास्ता दक्षिण - कपूर चंद आर्य का मकान पूर्व - शालीमार अपार्टमेंट पश्चिम - रास्ता
10	96	9030	567.84	उत्तर - चंद्रभान दक्षिण - हास्न पूर्व - अवतार सिंह चावला पश्चिम - रास्ता
11	96	9030	387.17	उत्तर - रास्ता दक्षिण - अवतार सिंह चावला पूर्व - प्रताप राय पश्चिम - मोहम्मद मकसूद सिद्धीकी
12	99	17240	598	उत्तर - रास्ता दक्षिण - फिरदौस का मकान पूर्व - खालिद अलीम का मकान पश्चिम - रास्ता
13	96-99,100	167930	492	उत्तर - हेप्पीटावर अपार्टमेंट दक्षिण - ओवराय का मकान पूर्व - रास्ता एवं वफवड स्कूल पश्चिम - 31-A गुरुकृष्ण अपार्टमेंट
14	101	5710	230.76	उत्तर - रास्ता दक्षिण - जैन पूर्व - पी.के.वाधवानी पश्चिम - राजपाल सिंह
15	105	141660	240.15	उत्तर - रोड दक्षिण - कायनात मल्टी स्टोरी पूर्व - मकान नं.17 पश्चिम - मकान नं.15
16	105/1/1	140180	313.66	उत्तर - रास्ता दक्षिण - शासकीय भूमि पूर्व - रिक्त भूखंड पश्चिम - क्लासिक आपार्टमेंट
17	105/1/1	140180	836.12	उत्तर - बसंता एडवोकेट का मकान दक्षिण - रास्ता पूर्व - प्लाट नं.7 रिक्त पश्चिम - सुरेन्द्र सिंह जसवीर सिंह का मकान
18	105/1/1	140180	536.050	उत्तर - सइक-रोड दक्षिण - प्लॉट नं. 157 पूर्व - प्लाट नं.155 पश्चिम - डॉ. एस.कपूर का मकान
19	105/1/1	140180	303.51	उत्तर - नरेन्द्र गुप्ता दक्षिण - रास्ता पूर्व - प्लाट नं.48 पश्चिम - प्लाट नं.49

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.